भारतीय स्टेट बैंक

तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	231114,96,63	220021,36,33
जमा राशियाँ	3	3241620,73,43	2911386,01,07
उधार राशियाँ	4	314655,65,21	403017,11,82
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	163110,10,41	145597,29,55
योग		**3951393,91,80**	**3680914,24,89**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	166735,77,90	176932,41,75
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	84361,22,64	45557,69,40
निवेश	8	1046954,51,75	967021,94,75
अग्रिम	9	2325289,56,07	2185876,91,77
अचल आस्तियाँ	10	38439,28,18	39197,56,94
अन्य आस्तियाँ	11	289613,55,26	266327,70,28
योग		**3951393,91,80**	**3680914,24,89**
आकस्मिक देयताएँ	12	1214994,60,69	1116081,45,94
वसूली के लिए बिल	-	55758,16,19	70022,53,97
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एंव डिजिटल बैंकिंग)

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

निदेशक:	**स्थान:**
श्री संजीव मल्होत्रा	उदगमंडलम
श्री भास्कर प्रामाणिक	नई दिल्ली
श्री बसंत सेठ	कानपुर
डॉ. पुष्पेंद्र राय	नई दिल्ली
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	नई दिल्ली
श्री बी. वेणुगोपाल	मुंबई
श्री चंदन सिन्हा	मुंबई
श्री देवाशीष पांडा	नई दिल्ली
श्री संजीव महेश्वरी	मुंबई

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: **स. क्र.** 085669
फर्म पंजी सं. 001111 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार

अरविन्द नारायण येन्नमडी
भागीदार: **स.क्र.** 031004
फर्म पंजी सं.301072 ई
स्थान: मुंबई

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णान
भागीदार: **स.क्र.** 018159
फर्म पं.क्र.004610 एस
स्थान: एर्नाकुलम

कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सुनीता केडिया
भागीदार: **स.क्र.** 60162
फर्म पं.क्र. 302082 ई
स्थान: कोलकाता

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. शिव रामकृष्ण प्रसाद
भागीदार: **स.क्र.** 024860
फर्म प. क्र. 004453 एस
स्थान: हैदराबाद

कृते चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

विठेश डी. गांधी
भागीदार: **स.क्र.** 110248
फर्म पं.क्र.101720 डबल्यू / डबल्यू 100355
स्थान: मुंबई

कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.आर. तोतला
भागीदार: **स.क्र.** 071774
फर्म पं.क्र. 000734 सी
स्थान: इन्दौर

कृते एस.के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. बी. सिंह
भागीदार: **स.क्र.** 073124
फर्म पं.क्र. 000745 सी
स्थान : कानपुर

कृते एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेवा
भागीदार: **स.क्र.** 090989
फर्म पं.क्र. 000235 एन / एन500089
स्थान: नई दिल्ली

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

पंकज जैन
भागीदार: **स.क्र.** 48850
फर्म प. क्र. 105049 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस मूर्ति
भागीदार: **स.क्र.** 072290
फर्म पं.क्र. 001135 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: **स.क्र.** 024844
फर्म पं.क्र. 003398 एस
स्थान: चेन्नई

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार: **स.क्र.** 137686
फर्म पं.क्र.104863 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोकसी
भागीदार: स.क्र. 37606
फर्म पं.क्र.109574 डबल्यू
स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 जून 2020

अनुसूची

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 ₹ 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 11,03,42,880 इक्विटी शेयर भी शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रति ₹ 1 के 12,10,71,350 इक्विटी शेयर) इन्हें 1,10,34,288 वैश्विक जमा रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है (पिछले वर्ष 1,21,07,135)		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	65595,65,26		65336,98,37	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4346,43,32		258,66,89	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		69942,08,58		65595,65,26
II. पूंजी आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	9770,86,64		9391,65,88	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3985,83,93		379,20,76	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		13756,70,57		9770,86,64
III. शेयर प्रीमियम				
अथशेष	79115,47,05		79124,21,51	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		37,92	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		9,12,38	
		79115,47,05		79115,47,05
IV. निवेश अस्थिरता आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1119,88,09		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		1119,88,09		-

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V. विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	6730,96,89		5720,58,73	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2844,98,23		1077,13,19	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	301,34,68		66,75,03	
		9274,60,44		6730,96,89
VI. आय एवं अन्य आरक्षित निधियाँ*				
अथशेष	49380,51,95		48893,23,87	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	793,96,19		563,88,56	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5532,62,60		76,60,48	
		44641,85,54		49380,51,95
VII. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	24653,94,08		24847,98,65	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	379,57,78		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1270,85,29		194,04,57	
		23762,66,57		24653,94,08
VIII. लाभ-हानि खाते का अधिशेष		(10498,30,21)		(15226,05,54)
योग		**231114,96,63**		**220021,36,33**

* नोट: आय एवं अन्य आरक्षितियों में निम्नलिखित शामिल है

(i) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹ 5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5,00,00 हजार)

(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ ₹ 14032,22,76 हजार (पिछले वर्ष ₹ 13421,76,76 हजार)

(iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹ 69,58,40 (पिछला वर्ष ₹ 371,84,01)

अनुसूची 3 - जमा-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. I. मांग जमा-राशियाँ		
(i) बैंकों से	5129,65,75	6894,62,06
(ii) अन्यो से	222205,92,69	198980,62,74
II. बचत बैंक जमा-राशियाँ	1206371,98,79	1091751,97,36
III. सावधि जमा-राशियाँ		
(i) बैंकों से	5973,24,84	8234,15,28
(ii) अन्यो से	1801939,91,36	1605524,63,63
योग	**3241620,73,43**	**2911386,01,07**
ख. I. भारत में शाखाओं की जमा-राशियाँ	3124615,86,05	2814243,42,48
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा-राशियाँ	117004,87,38	97142,58,59
योग	**3241620,73,43**	**2911386,01,07**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ				
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		33533,00,00		94319,00,00
(ii) अन्य बैंक		40,00,00		260,00,00
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		6165,75,42		27853,89,24
(iv) पूंजीगत लिखत :				
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई)	23535,70,00		19152,30,00	
ख) गौण ऋण	32006,73,80		28256,73,80	
		55542,43,80		**47409,03,80**
योग		**95281,19,22**		**169841,93,04**
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ				
(i) भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित्त		217104,50,99		231100,53,78
(ii) पूंजीगत लिखते :				
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई)		2269,95,00		2074,65,00
योग		**219374,45,99**		**233175,18,78**
कुल योग		**314655,65,21**		**403017,11,82**
उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं।		**42790,93,47**		**124028,25,70**

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	26822,90,16	23875,66,31
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	21735,74,61
III. उपचित ब्याज	15697,16,19	14479,87,48
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	6,16,17	2,33,15
V. अन्य (प्रावधानो सहित)*	120583,87,89	85503,68,00
योग	**163110,10,41**	**145597,29,55**

* मानक आस्तियों के लिए ₹ 11544,24,43 हजार का विवेकशील प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 12396,67,91 हजार)

अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	20104,58,40	18777,94,34
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	146631,19,50	158154,47,41
	(ii) अन्य खातों में	-	-
योग		**166735,77,90**	**176932,41,75**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	22,59,77	870,270
	(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
	(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि		
	(क) बैंकों में	44747,71,31	4608,88,73
	(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
योग		**44770,31,08**	**4695,91,43**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	28303,47,50	19667,07,18
	(ii) अन्य जमा खातों में	1379,28,32	2870,14,73
	(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि	9908,15,74	18324,56,06
योग		**39590,91,56**	**40861,77,97**
कुल योग (I एवं II)		**84361,22,64**	**45557,69,40**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	803270,12,10	761883,12,15
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) शेयर	8221,43,31	9878,74,38
	(iv) डिबेंचर और बांड	102363,82,19	84948,36,68
	(v) अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित हैं)	11744,07,18	5608,00,04
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)	74057,22,82	53388,53,85
योग		**999656,67,60**	**915706,77,10**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश			
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		17062,82,86	11644,84,99
(ii) विदेश में स्थापित अनुषंगियाँ तथा/अथवा संयुक्त उद्यम		4298,49,28	4298,49,28
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		25936,52,01	35371,83,38
योग		**47297,84,15**	**51315,17,65**
कुल योग (I एवं II)		**1046954,51,75**	**967021,94,75**
III. भारत में निवेश :			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		1010599,04,40	926650,59,97
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		10942,36,80	10943,82,87
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार)	**योग**	**999656,67,60**	**915706,77,10**
IV. भारत के बाहर निवेश :			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		47448,66,41	51473,39,76
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		150,82,26	158,22,11
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार)	**योग**	**47297,84,15**	**51315,17,65**
कुल योग (III एवं IV)		**1046954,51,75**	**967021,94,75**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	84017,46,96	80278,87,21
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	708726,92,91	776633,45,81
III. सावधि ऋण	1532545,16,20	1328964,58,75
योग	**2325289,56,07**	**2185876,91,77**
ख. I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है)	1673925,40,51	1582764,41,50
II. बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	92117,72,36	80173,16,17
III. अप्रतिभूत	559246,43,20	522939,34,10
योग	**2325289,56,07**	**2185876,91,77**
ग. I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	526675,87,35	520729,77,60
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	287504,28,69	240295,89,39
(iii) बैंक	812,52,23	9174,06,50
(iv) अन्य	1154187,79,39	1114679,73,28
योग	**1969180,47,66**	**1884879,46,77**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	80372,75,07	69975,74,47
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	31091,11,08	26740,94,11
(ख) सिंडीकेट ऋण	172482,45,21	138191,25,40
(ग) अन्य	72162,77,05	66089,51,02
योग	**356109,08,41**	**300997,45,00**
कुल योग (C-I एवं C-II)	**2325289,56,07**	**2185876,91,77**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)**			
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर पुनर्मूल्यांकित	30831,77,23	30201,53,82	
	परिवर्धन:			
	- वर्ष के दौरान	299,15,09	669,84,09	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	3936,14,00	-	
	कटौतियाँ:			
	- वर्ष के दौरान	14,17,04	39,60,68	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	4735,02,74	-	
	अद्यतन मूल्यह्रास			
	- लागत पर	833,18,06	714,18,98	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	670,54,22	497,17,97	
		28814,14,26		**29620,40,28**
II.	**अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)**			
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर पुनर्मूल्यांक्ति	31074,77,30	30114,90,96	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3352,06,86	2404,25,97	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	929,22,06	1444,39,63	
	अद्यतन मूल्यह्रास	24288,37,20	22186,23,44	
		9209,24,90		**8888,53,86**
III.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**	**415,89,02**		**688,62,80**
योग (I, II एवं III, IV)		**38439,28,18**		**39197,56,94**

Note: in the 31.03.2020 column, sub-item amounts are printed in the left sub-column and totals (28814,14,26; 9209,24,90; 415,89,02; 38439,28,18) in the right sub-column.

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1936,15,88	-
II.	प्रोद्भूत ब्याज	26252,46,38	26141,97,03
III.	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	34450,84,01	24376,29,42
IV.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	2933,44,38	10422,49,17
V.	लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	92,02,77	102,14,03
VI.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	56,10	73,71
VII.	अन्य *	223948,05,74	205284,06,92
योग		**289613,55,26**	**266327,70,28**

*नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा रखे गए ₹ 163238,91,62 हजार (पिछले वर्ष ₹ 138245,29,37 हजार) की जमाराशियाँ शामिल हैं।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	बैंक के विरुद्द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	71642,48,25	43357,92,57
II.	अंशतः प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स के लिए देयता	1682,66,59	472,87,61
III.	बकाया वादा विनिमय संविदाओं के संबंध में देयता	635813,45,45	596621,66,74
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	165584,80,13	157186,66,27
	(ख) भारत के बाहर	70636,18,96	72425,94,84
V.	प्रतिग्रहण,पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	132364,00,65	124194,94,04
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	137271,00,66	121821,43,87
योग		**1214994,60,69**	**1116081,45,94**

* ₹132209,26,69 हजार के डेरिवेटिव्स (पिछले वर्ष ₹ 117435,24,87 हजार) शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

लाभ और हानि खाता 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	257323,59,22	242868,65,35
	अन्य आय	14	45221,47,80	36774,88,78
योग			**302545,07,02**	**279643,54,13**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	159238,76,57	154519,77,80
	परिचालन व्यय	16	75173,69,02	69687,73,74
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		53644,50,37	54573,79,61
योग			**288056,95,96**	**278781,31,15**
III.	**लाभ**			
	हानि वर्ष के लिए निवल लाभ		14488,11,06	862,22,98
	आगे लाया गया लाभ / (हानि)		(15226,05,54)	(15078,56,86)
योग			**(737,94,48)**	**(14216,33,88)**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		4346,43,32	258,66,89
	पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		3985,83,93	379,20,76
	निवेश अस्थिरता आरक्षित निधियों को अंतरण		1119,88,09	-
	आय एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		308,20,39	371,84,01
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		(10498,30,21)	(15226,05,54)
योग			**(737,94,48)**	**(14216,33,88)**
V.	**प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 1 प्रति शेयर)**			
	मूल आय (₹)		16.23	0.97
	कम की गई आय (₹)		16.23	0.97
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एंव डिजिटल बैंकिंग)

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

निदेशक:	**स्थान:**
श्री संजीव मल्होत्रा	उदगमंडलम
श्री भास्कर प्रामाणिक	नई दिल्ली
श्री बसंत सेठ	कानपुर
डॉ. पुष्पेंद्र राय	नई दिल्ली
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	नई दिल्ली
श्री बी. वेणुगोपाल	मुंबई
श्री चंदन सिन्हा	मुंबई
श्री देवाशीष पांडा	नई दिल्ली
श्री संजीव महेश्वरी	मुंबई

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार

अरविन्द नारायण येन्नमडी
भागीदार: स.क्र. 031004
फर्म पंजी सं.301072 ई
स्थान: मुंबई

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स.क्र. 018159
फर्म पं.क्र.004610 एस
स्थान: एर्नाकुलम

कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सुनीता केडिया
भागीदार: स.क्र. 60162
फर्म पं.क्र. 302082 ई
स्थान: कोलकाता

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. शिव रामकृष्ण प्रसाद
भागीदार: स.क्र. 024860
फर्म प. क्र. 004453 एस
स्थान: हैदराबाद

कृते चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

विठेश डी. गांधी
भागीदार: स.क्र. 110248
फर्म पं.क्र.101720 डबल्यू / डबल्यू 100355
स्थान: मुंबई

कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.आर. तोतला
भागीदार: स.क्र. 071774
फर्म पं.क्र. 000734 सी
स्थान: इन्दौर

कृते एस.के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. बी. सिंह
भागीदार: स.क्र. 073124
फर्म पं.क्र. 000745 सी
स्थान : कानपुर

कृते एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेवा
भागीदार: स.क्र. 090989
फर्म पं.क्र. 000235 एन / एन500089
स्थान: नई दिल्ली

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

पंकज जैन
भागीदार: स.क्र. 48850
फर्म प. क्र. 105049 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस मूर्ति
भागीदार: स.क्र. 072290
फर्म पं.क्र. 001135 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स.क्र. 024844
फर्म पं.क्र. 003398 एस
स्थान: चेन्नई

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार: स.क्र. 137686
फर्म पं.क्र.104863 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोकसी
भागीदार: स.क्र. 37606
फर्म पं.क्र.109574 डबल्यू
स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 जून 2020

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	179748,83,55	161640,23,23
II.	निवेशों पर आय	68204,72,38	74406,16,37
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	2920,40,56	1179,06,59
IV.	अन्य	6449,62,73	5643,19,16
योग		**257323,59,22**	**242868,65,35**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	23725,05,94	23303,89,22
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) 1	8575,65,21	3146,86,06
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	-	(2124,03,82)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(28,37,38)	(34,98,24)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2516,41,29	2155,75,29
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/कंपनियों तथा/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय	212,03,35	348,01,18
VII.	विविध आय[2]	10220,69,39	9979,39,09
योग		**45221,47,80**	**36774,88,78**

[1] निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) में ₹ 6,215.64 करोड़ की विशेष मदें शामिल हैं।(पिछले वर्ष ₹ 473.12 करोड़)

[2] विविध आय में असाधारण मद में शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,087.43) तथा अपलिखित खातों में की गई ₹ 9,250.23 करोड़ की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 8,344.61 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	147398,96,33	140272,36,59
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	6891,11,73	9838,95,98
III.	अन्य	4948,68,51	4408,45,23
योग		**159238,76,57**	**154519,77,80**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	45714,96,78	41054,70,68
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5339,11,88	5265,65,95
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	526,20,36	498,94,99
IV.	विज्ञापन व प्रचार	246,16,76	354,05,58
V.	बैंक की संपति पर मूल्यहास	3303,81,33	3212,30,65
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	1,86,42	1,34,65
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	244,67,58	293,67,65
VIII.	विधि प्रभार	266,66,85	261,84,28
IX.	डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि	349,13,89	387,01,81
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	924,32,58	904,08,56
XI.	बीमा	3212,71,45	2845,44,78
XII.	अन्य व्यय	15044,03,14	14608,64,16
योग		**75173,69,02**	**69687,73,74**

अनुसूची 17-
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, विनियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं। इन अनुमानों में किसी भी संशोधन के असर को परिवर्तन की अवधि से भावी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण :

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है जो इनके अतिरिक्त हैः (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है, को “ट्रेडिंग” नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) “आरक्षित पूंजी खाते” में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - “पट्टे” के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया गया है, जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के रुझान पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

क) ब्याज युक्त प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को हिसाब में लिया जाता है।

1.7 इस अवधि में साख-पत्र/बैंक गारंटी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और ‘पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क’ पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में ली गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई गई दलाली, कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, :-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करता है, तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेश

सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है।

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "ट्रेडिंग के लिए धारित" (एचएफटी)। तुलनपत्र की अनुसूची 8 (I) में प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए 'भारत में निवेशों' को छह समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य एवं (II) 'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) विदेश स्थित अनुषंगियाँ एवं/अथवा संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "ट्रेडिंग के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", ठविक्रय के लिए उपलब्धड या "ट्रेडिंग के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन निवेशों को छोडकर जिनको क्रय करके तत्पश्चात विक्रय के लिए विशेष रूप से रखा गया है। इन निवेशों को विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन :

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "ट्रेडिंग के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी:** क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के मामले में कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह (जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं डिबेंचर) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य) के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है। प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआररलिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

(च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरणः

(क) रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेनदेन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/ अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ :

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि होने की जानकारी मिली है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान ii. प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है) iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ एस्क्रो खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %
संदिग्ध आस्तियां :	
-प्रतिभूत हिस्सा :	i. एक वर्ष तक - 25% ii. एक से तीन वर्ष-40% iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
-अप्रतिभूत हिस्सा	100%
हानिप्रद आस्तियां :	100%.

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रीमो के लिए प्रावधान के अलावा पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान- अन्य" शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता हैः

क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्यान

ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तो के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधानः

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधानः

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्सः

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास और परिशोधन :

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजित मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/ क्वाइनवेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर 60 वर्ष वाहन 5 वर्ष जमा सुरक्षा लॉकर 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षिति को विनियोजित किया जाता है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (हाजिर/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम हाजिरी दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताके लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को आरंभ से दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजनाएं :

क. बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यव्यसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

13. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो 'आय पर कर के लेखा' से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है, जो तुलनपत्र की तारीख को लागू है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किंतु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितांत दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची - 18: लेखा टिप्पणियां

18.1 पूंजी

1. पूंजी अनुपात

बेसल - II के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.71%	10.38%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.42%	2.47%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	13.13%	12.86%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.77%	9.62%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	11.00%	10.65%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.06%	2.07%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.06%	12.72%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	56.92%	57.13%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	507,97,75,288	509,88,82,979
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	निरंक	0.38
(viii)	अतिरिक्त टियर -1 (एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है क) पीएनसीपीपीएस: ख) पीडीआई:	 निरंक 6,918.40	 निरंक 7,317.30
(ix)	उगाही गई टियर-2 पूंजी में सम्मिलित है: क) ऋण पूंजी लिखत: ख) अधिमान शेयर पूंजी लिखत: ज्बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/ मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/मोचनीय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	 5,000.00 निरंक	 4,115.90 निरंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.न.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-I पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

2. शेयर पूंजी

शेयरों के इश्यू के संबंध में खर्च: ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ 9.12 करोड़) प्रीमियम खाते को साझा करने के लिए डेबिट किया जाता है।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है और बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.2020 को के समतुल्य	31.03.19 को के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम - 29वीं श्रृंखला के तहत जारी अतिरिक्त टीयर-1 (एटी1) बॉण्ड -	22.09.2016	परपेचुअल नॉन कॉल 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,269.95	2,074.65

यह बॉण्ड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख) देशीय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज% प्र.व.
1.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर-1 श्रृखला XII	200.00	20.09.2010	9.05
2.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 बेसल III एटी I	2,100.00	06.09.2016	9.00
3.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 बेसल III एटी I - सिरीज II	2,500.00	27.09.2016	8.75
4.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 बेसल III एटी I- सिरीज III	2,500.00	25.10.2016	8.39
5.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2017 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला IV	2,000.00	02.08.2017	8.15
6.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1	4,021.00	04.12.2018	9.56
7.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला II	2,045.00	21.12.2018	9.37
8.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला III	1,251.30	22.03.2019	9.45
9.	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत, बेसल III-एटी I बांड्स 2019-20 श्रृंखला I	3,104.80	30.08.2019	8.75
10.	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत, बेसल III-एटी I बांड्स 2019-20 श्रृंखला II	3,813.60	22.11.2019	8.50
	योग	**23,535.70**		

4. गौण ऋण

बॉण्ड पर अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं अमोचनीय है और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
1	पूर्ववर्ती एसबबीबीजे निम्न टियर II, (श्रृंखला VI)	500.00	20.03.2012 20.03.2022	9.02	120
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
3	पूर्ववर्ती एसबीएम उच्च टियर II बेसल III अनुपालक	500.00	17.12.2014 17.12.2024	8.55	120
4	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला I)ा	950.00	22.01.2015 22.01.2025	8.29	120
5	पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II बेसल III अनुपालक	200.00	20.03.2015 20.03.2025	8.30	120
6	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XIV)	393.00	31.03.2015 31.03.2025	8.32	120
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (पब्लिक निर्गम) बॉण्ड 2010 (श्रृखला - II) (निम्न टियर II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
8	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट), बेसल-III - अनुपालक टियर II बांड्स 2015-16 (श्रृंखला I)	4,000.00	23.12.2015 23.12.2025	8.33	120
9	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XV)	500.00	30.12.2015 30.12.2025	8.40	120
10	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक	300.00	31.12.2015 31.12.2025	8.40	120
11	पूर्ववर्ती एसबीएम, टियर II बेसल III अनुपालक	200.00	18.01.2016 18.01.2026	8.45	120

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
12	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI)	200.00	08.02.2016 08.02.2026	8.45	120
13	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट), बेसल-III - अनुपालक टियर II बांड्स 2015-16 (श्रृंखला II)	3,000.00	18.02.2016 18.02.2026	8.45	120
14	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) बांड्स 2011 रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
15	(पब्लिक इश्यू) बांड्स 2011 रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II बॉण्ड)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत निजी प्लेसमेंट टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)	3,000.00	18.03.2016 18.03.2026	8.45	120
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट), बेसल-III - अनुपालक बेसल-III - अनुपालक टियर II बांड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)	500.00	21.03.2016 21.03.2026	8.45	120
18	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला I)	515.00	30.03.2016 30.03.2026	8.45	120
19	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II उच्च टियर II(श्रृंखला III)	500.00	26.03.2012 26.03.2027	9.25	180
20	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल - III टियर- 2 बॉण्ड्स 2018	4,115.90	02.11.2018 02.11.2028	8.90	120
21	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III - टियर II बॉण्ड 2019-20	5,000.00	28.06.2019 28.06.2029	7.99	120
	योग	**32,006.74**			

18.2. निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
I. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	10,10,599.04	9,26,650.60
(ख) भारत से बाहर	47,448.66	51,473.40
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	9,430.13	9,094.19
(ख) भारत से बाहर	150.82	158.22
iii) पुनर्संरचित खातों के पूंजीकृत ब्याज पर देयता(एलआईसीआरए)	1,512.24	1,849.64
iv) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	9,99,656.67	9,15,706.77
(ख) भारत से बाहर	47,297.84	51,315.18
2. निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) वर्ष के प्रारंभ में अधिशेष	9,252.41	10,206.45
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5,237.78	1,863.13
iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	33.48	-
iv) घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(38.04)	(22.24)
v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	4,913.80	2,839.41
vi) वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	9,580.95	9,252.41

टिप्पणियां :

क. ₹ 4,225 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹ 21,219.41 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/एनएससीसीएल/एमसीएक्स/एनएसईआईएल/बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।

ख. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी सहयोगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई अर्थात i) उत्कल ग्रामीण बैंक ‘ 143.77 करोड़, ii) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ₹ 86.68 करोड़, iii) मध्यांचल ग्रामीण बैंक ₹ 8.91 करोड़, iv) इलाकाई देहाती बैंक ₹ 5.48 करोड़, v) नागालैंड ग्रामीण बैंक ₹ 0.48 करोड़ तथा पूंजी निवेश के बाद बैंक की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. बैंक ने यस बैंक लिमिटेड में ₹ 6,050.00 करोड़ का निवेश किया है, जो कि निवेश उपरांत ईक्विटी पूंजी का 48.21% है। एएफएस श्रेणी में इस निवेश के वर्गीकरण एवं इस संबंध में लेखांकन नीति में बदलाव के कारण वर्ष के लाभ पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहा।

घ. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित अनुषंगियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है।

- ₹ 3,484.30 करोड़ के लाभ के साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 4,50,00,000 ईक्विटि शेयर। तदनुसार बैंक की अंशधारिता 62.10 % से कम होकर 57.60 % हो गई है।
- ₹ 2,731.34 करोड़ के लाभ के साथ एसबीआई काड्‌र्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड के 3,72,93,371 ईक्विटि शेयर। तदनुसार बैंक की अंशधारिता 74.00 % से कम होकर 69.51 % हो गई है।

ङ एनसीएलटी द्वारा 4 जून 2019 को पारित आदेश के अनुसार एसबीआई बिज़नस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड (अनुषंगी) का समामेलन 01 अप्रैल 2018 से एसबीआई काड्‌र्स एंड पायमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (अनुषंगी) के साथ किया गया, जिसमें उत्तरार्ध वाली अस्तित्व रखने वाली इकाई है।

एसबीआई काड्‌र्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम 20.08.2019 से बदलकर एसबीआई काड्‌र्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड कर दिया गया है।

च. बैंक ने नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपना हिस्सा वापस लिया :

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	राशि
लंगपी देहांगी रुरल बैंक	10.83
कावेरी ग्रामीण बैंक	18.89

छ. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एसबीआई द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के बीच निम्नलिखित समामेलन हुआ है।

आरआरबी के समामेलन का ब्यौरा, जहां ट्रांसफरी आरआरबी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित नहीं हैं, नीचे हैं: -

	ट्रांसफरर आरआरबी का नाम	ट्रांसफरर आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक
1.	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	कैनरा बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	कैनरा बैंक	1 अप्रैल 2019
	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			
2.	असम ग्रामीण विकास बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम ग्रामीण विकास बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1 अप्रैल 2019
	लंगपी डेहंगपी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			

आरआरबी के समामेलन का विवरण, जहां ट्रांसफरी आरआरबी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित है: -

	ट्रांसफरर आरआरबी का नाम	ट्रांसफरर आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक
1.	झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	1 अप्रैल 2019
	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			

2. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित) (अंकित मूल्य पर)

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2020 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	1,12,595.20	9,166.64	34,576.69
	(-)	(1,31,364.16)	(48,101.62)	(1,12,793.84)
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	15,795.87	10,778.12	8,696.38
	(-)	(12,382.91)	(7,742.36)	(10,264.00)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	1,13,000.00	38,332.97	38,000.00
	(-)	(43,507.94)	(5,202.46)	(1,963.89)
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	3,292.71	592.93	3,292.71
	(-)	(860.43)	(816.74)	(859.81)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि)	"निम्न निवेश श्रेणी" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"बिना रेटिंग वाली" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
i	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	62,047.29	45,135.13	-	-	-
		(48,324.45)	(18,145.75)	(356.64)	(-)	(-)
ii	वित्तीय संस्थाएं	86,460.61	74,871.30	2,754.24	-	1,150.00
		(67,836.16)	(55,738.02)	(-)	(-)	(-)
iii	बैंक	24,856.99	12,624.53	585.10	23.62	23.62
		(19,374.89)	(1,457.62)	(1,177.32)	(23.62)	(23.62)
iv	निजी कारपोरेट	35,680.14	25,758.70	901.99	-	-
		(41,791.89)	(23,398.59)	(826.18)	(341.30)	(24.70)
v	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	16,045.43	-	-	-	-
		(9,909.36)	(-)	(-)	(-)	(-)
vi	अन्य	29,687.12	2,196.19	3,558.08	46.68	4.84
		(24,977.19)	(623.66)	(2,383.40)	(53.47)	(3.17)
vii	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	11,093.19	11.65	236.96	-	-
		(7,075.11)	(-)	(25.21)	(30.60)	(-)
	योग	**2,43,684.39**	**1,60,574.20**	**7,562.45**	**70.30**	**1,178.46**
		(2,05,138.83)	**(99,363.64)**	**(4,718.33)**	**(387.79)**	**(51.49)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/ सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	5,609.66	4,595.25
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	3,686.05	1,986.35
वर्ष के दौरान कमी	299.91	971.94
इतिशेष	8,995.80	5,609.66
रखे गए कुल प्रावधान	**7,970.83**	**5,209.17**

4. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

5. प्रतिभूत रसीदों (एस आर) में निवेश का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों से अधिक पहले और 8 वर्षों के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से पहले जारी एसआर	कुल
i	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	2,657.86	6,077.67	25.78	8,761.31
	(i) के लिए रखा गया प्रावधान	300.47	1,329.99	25.78	1,656.24
ii	आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	0.54	3.92	2.68	7.14
	(ii) के लिए रखा गया प्रावधान	-	0.78	2.68	3.46
योग (i) + (ii)		**2,658.40**	**6,081.59**	**28.46**	**8,768.45**

6. प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए के लिए प्रतिभूत रसीदों में निवेश का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2020 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	8,761.31	9,834.83	7.14	7.15	8,768.45	9,841.98
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	0.06	16.58	-	-	0.06	16.58

18.3. डेरिवेटिव्स

क. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	2,98,843.36	3,74,120.04
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	8,063.30	3,342.37
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	कोई महत्वपूर्ण नहीं	कोई महत्वपूर्ण नहीं
v)	विनिमय-बही का उचित मूल्य	7,908.68	125.32

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों तथा अन्य बैंकों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹32134.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19,022.25 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया।

31 मार्च 2020 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	सं.	आनुमानिक मूलधन	आधार (बेचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	175	7,089.25	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	1	192.94	लिबोर	अस्थिर प्राप्य/स्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	121	1,490.92	अन्य	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	39	25,615.09	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	26	2,973.54	लिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2	832.31	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1993	1,06,806.98	लिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2171	1,42,354.97	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	70	2,853.50	मिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	126	5,297.00	मिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	4	3,336.86	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
	योग		**2,98,843.36**		

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि		
	क) ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख) भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	63,670.92	42,099.96
2	31 मार्च, 2020 को बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूलराशि		
	क) ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख) भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	N.A.	N.A.

ग. डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र

(क) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

I बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स, मुद्रा मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रास मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी का मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को होने वाली संभावित हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव्स लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों

पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है। बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2019-20 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यतः विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. हेजिंग स्वैप के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले स्वैप में हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में किए गए बैक टू बैक (दुतरफा) स्वैप किए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की हेजिंग हेतु किया जाता है।

vii. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

viii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

ix. डेरिवेटिव्स सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई है। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामले दर मामले आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है। डेरिवेटिव्स लेनदेनों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताएं मामला दर मामला आधार पर ऋण संस्वीकृति शर्तों के साथ निर्धारित की जाती हैं। ऐसे संपाश्रिवक आवश्यकताओं को नेमी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कतिपय मामलों में जोखिम न्यूनिकरण उपाय के रूप में लेन-देनों को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास है।

(ख) मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

मद		मुद्रा डेरिवेटिव्स		ब्याज दर डेरिवेटिव्स	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
	(क) हेजिंग के लिए	14,407.12 @	8,983.92 @	35,421.64 #	41,908.78 #
	(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	6,55,991.56	2,47,198.72	2,77,804.99	3,37,642.76
(II)	बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
	(क) आस्ति		3,555.69	8,063.30	3,365.55
	(ख) देयता		3,130.82	6,086.78	3,240.23
(III)	ऋण जोखिम	36,850.85	12,665.30	11,026.29	7,037.75
(IV)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	1.07	1.08	4.60	150.90
	(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव्स पर	86.72	15.83	146.20	136.08
(V)	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर - अधिकतम	1.07	1.08	460.31	255.40
	- न्यूनतम	-	-	-	-
	(ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम	2.91	24.41	1.85	149.73
	- न्यूनतम	-	(-) 129.75	0.03	0.08

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों और अन्य बैंकों के साथ किए गए स्वैप की ₹1725.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹245.10 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

#बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹32,134,.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19,022.25 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और इसलिए बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। मुद्रा डेरिवेटिव्स ₹ 867.18 (पिछले वर्ष ₹ 867.18 और ब्याज दर डेरिवेटिव्स शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

1. मार्च 31, 2020 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप के बीच डेरिवेटिव्स व्यापार की बकाया आनुमानिक राशि ₹ 34727.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19,694.47 करोड़) है और 31 मार्च 2020 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव्स व्यापार की राशि ₹10,222.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8929.28 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2020 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹60,632.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹45,661.89 करोड़) है।

18.4.आस्ति गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण			31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)		2.23%	3.01%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल)			
	(क)	अथशेष	1,72,750.36	2,23,427.46
	(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए)	49,826.28	32,738.05
		उप-योग(I)	2,22,576.64	2,56,165.51
	घटाएंः			
	(घ)	वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	3,339.79	4,794.34
	(ङ)	वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	17,782.63	19,715.63
	च)	तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	-	5,139.76
	(छ)	वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	52,362.37	53,765.42
		उप-योग (ii)	73,484.79	83,415.15
	(च)	इतिशेष(I-II)	1,49,091.85	1,72,750.36
III)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव			
	(क)	अथशेष	65,894.74	1,10,854.70
	(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	6,758.88	27,008.89
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	20,782.32	71,968.85
	(घ)	इतिशेष	51,871.30	65,894.74
IV)	निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	अथशेष	1,06,855.62	1,12,572.76
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	43,067.40	54,844.57
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	52,702.47	60,561.71
	(घ)	इतिशेष	97,220.55	1,06,855.62

टिप्पणियां :

(क) एनपीए के प्रावधानों के अथशेष एवं इतिशेष में ईसीजीसी/ सीजीएफएमयू से प्राप्त दावे शामिल है और रखी गई बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹235.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.72 करोड़) और ₹305.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹235.61 करोड़) है। पिछले वर्ष की बढ़ोतरी/प्रावधानों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

(ख) आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बी.पी.बी.सी. नं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान रिपोर्ट किए गए प्रावधान पूर्व लाभ से 10% से अधिक है तथा/या आरबीआई द्वारा अवधि विशेष के दौरान चिह्नित सकल एनपीए घोषित किए गए वृद्धिशील एनपीए से 15% अधिक है तो बैंकों को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में किए गए विचलन का प्रकटीकण करना पड़ेगा।

तद्नुसार, चूंकि उपरोक्त सीमा में नहीं आने के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विचलन की स्थिति अलग से दर्शाई नहीं गई है।

एनपीए के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में भिन्नता

	विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1	बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	1,72,750
2	आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक सकल एनपीए	1,84,682
3	सकल एनपीए में फर्क (2-1)	11,932
4	बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 को शुद्ध एनपीए	65,895
5	आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 को शुद्ध एनपीए	77,827
6	नेट एनपीए में फर्क (5-4)	11,932
7	बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक एनपीए के प्रावधान	1,06,856
8	आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक एनपीए के प्रावधान	1,18,892
9	प्रोविजनिंग में फर्क (8-7)	12,036
10	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर (पीएटी) के बाद शुद्ध लाभ की सूचना दी गई	862
11	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर (पैट) के बाद समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ प्रावधान में भिन्नता को ध्यान में रखने के बाद	(-) 6,968

बैंक ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान हुए उपरोक्त सभी विचलनों के लिए पूर्ण प्रावधान किया है।

क) पुनर्संरचित खाते

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		सीडीआर व्यवस्था के अधीन(1) मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2) मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1अप्रैल 2019 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	4	-	44	9	57	28	167	142	17	354
			(8)	(3)	(65)	(8)	(84)	(48)	(169)	(171)	(18)	(406)
		बकाया राशि	146.04	-	6,236.10	656.53	7,038.67	46.11	307.32	415.80	6.65	775.88
			(607.77)	(380.51)	(15,840.78)	(248.84)	(17,077.90)	(75.59)	(377.84)	(2,559.80)	(6.82)	(3,020.05)
		संबंधित प्रावधान	0.96	-	-	-	0.96	10.26	6.43	24.88	0.27	41.84
			(7.06)	(28.17)	(106.20)	(-)	(141.43)	(18.23)	(26.85)	(115.41)	(0.39)	(160.88)
2	चालू वित्त वर्ष में नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-	-	-	790	6	1	-	797
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(28)	(4)	(3)	(35)
		बकाया राशि	26.57	-	-	-	26.57	154.84	4.44	1.38	-	160.66
			(68.59)	(-)	(95.32)	(-)	(163.91)	(42.73)	(42.82)	(27.70)	(0.27)	(113.52)
		संबंधित प्रावधान	0.02	-	-	-	0.02	0.24	2.72	0.40	-	3.36
			(0.09)	(-)	(-)	(-)	(0.09)	(-)	(3.74)	(0.45)	(0.27)	(4.46)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-	-	-	1	-1	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	18.11	-18.11	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-2				-2	-				-
			(-1)				(-1)	(-2)				(-2)
		बकाया राशि	-155.08				-155.08	-				-
			(-23.05)				(-23.05)	(-4.56)				(-4.56)
		संबंधित प्रावधान	-				-	-				-
			(-)				(-)	(-0.23)				(-0.23)
5	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-	-	-	-9	-7	16	-	-
			(-2)	(-2)	(1)	(3)	(-)	(-2)	(2)	(-)	(-)	(-)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-2.38	-67.31	69.69	-	-
			(-332.43)	(-221.77)	(-87.04)	(641.24)	(-)	(-38.02)	(38.02)	(-)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-0.05	-8.78	8.83	-	-
			(-)	(-9.52)	(9.52)	(-)	(-)	(-0.35)	(0.35)	(-)	(-)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-22	-1	-23	-24	-53	-34	-3	-114
			(-1)	(-1)	(-22)	(-2)	(-26)	(-16)	(-32)	(-33)	(-4)	(-85)
		बकाया राशि	-2.08	-	-4,309.80	-165.50	-4,477.38	-9.75	-8.84	-34.41	-0.27	-53.27
			(-174.83)	(-158.74)	(-9,612.97)	(-233.55)	(-10,180.09)	(-29.63)	(-151.36)	(-2,171.70)	(-0.44)	(-2,353.13)
		संबंधित प्रावधान	-0.07	-	-	-	-0.07	-1.95	-0.37	-17.85	-0.27	-20.44
			(-6.19)	(-18.65)	(-115.72)	(-)	(-140.56)	(-7.39)	(-24.51)	(-90.98)	(-0.39)	(-123.27)
7	31 मार्च 2020 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	2	-	22	8	32	786	112	125	14	1,037
			(4)	(-)	(44)	(9)	(57)	(28)	(167)	(142)	(17)	(354)
		बकाया राशि	15.45	-	1,926.30	491.03	2,432.78	206.93	217.50	452.46	6.38	883.27
			(146.04)	(-)	(6,236.10)	(656.53)	(7,038.67)	(46.11)	(307.32)	(415.80)	(6.65)	(775.88)
		संबंधित प्रावधान	0.91	-	-	-	0.91	8.50	-	16.26	-	24.76
			(0.96)	(-)	(-)	(-)	(0.96)	(10.26)	(6.43)	(24.88)	(0.27)	(41.84)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के प्रकार आस्ति वर्गीकरण विवरण		अन्य (3)					कुल (1 + 2 + 3)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1 अप्रैल 2019 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	300 (360)	227 (335)	786 (1,094)	171 (45)	1484 (1,834)	332 (416)	394 (507)	972 (1,330)	197 (71)	1,895 (2,324)
		बकाया राशि	3,909.81 (4,179.74)	29.83 (3,933.96)	8,004.74 (29,631.18)	803.16 (966.41)	12,747.54 (38,711.28)	4,101.96 (4,863.08)	337.15 (4,692.31)	14,656.64 (48,031.77)	1,466.34 (1,222.07)	20,562.09 (58,809.23)
		संबंधित प्रावधान	319.57 (350.99)	0.85 (80.14)	15.23 (170.62)	4.05 (0.64)	339.70 (602.39)	330.79 (376.27)	7.28 (135.15)	40.11 (392.24)	4.32 (1.03)	382.50 (904.69)
2	चालू वित्त के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की सं.	4,813 (7)	61 (111)	21 (291)	1 (66)	4,896 (475)	5,603 (7)	67 (139)	22 (295)	1 (69)	5,693 (510)
		बकाया राशि	578.77 (9,347.86)	1.81 (2.96)	32.88 (94.95)	0.02 (3.95)	613.48 (9,449.72)	760.18 (9,459.18)	6.25 (45.78)	34.26 (217.96)	0.02 (4.23)	800.71 (9,727.15)
		संबंधित प्रावधान	- (43.41)	65.61 (0.47)	2.09 (8.02)	0.24 (2.26)	67.94 (54.16)	0.26 (43.49)	68.33 (4.21)	2.49 (8.47)	0.24 (2.53)	71.32 (58.70)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	17 (7)	-7 (-7)	-10 (-)	- (-)	- (-)	18 (7)	-8 (-7)	-10 (-)	- (-)	- (-)
		बकाया राशि	0.62 (0.29)	-0.36 (-0.29)	-0.26 (-)	- (-)	- (-)	18.73 (0.29)	-18.47 (-0.29)	-0.26 (-)	- (-)	- (-)
		संबंधित प्रावधान	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/ अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-16 (-22)				-16 (-22)	-18 (-25)				-18 (-25)
		बकाया राशि	-1,130.83 (-9,421.29)				-1,130.83 (-9,421.29)	-1,285.91 (-9,448.90)				-1,285.91 (-9,448.90)
		संबंधित प्रावधान	-28.19 (-4.31)				-28.19 (-4.31)	-28.19 (-4.54)				-28.19 (-4.54)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	-5 (-9)	-73 (-1)	47 (-79)	31 (89)	- (-)	-14 (-13)	-80 (-1)	63 (-78)	31 (92)	- (-)
		बकाया राशि	-675.75 (-39.38)	631.60 (-1,256.52)	43.65 (-42.68)	0.50 (1,338.58)	- (-)	-678.13 (-409.83)	564.29 (-1,440.27)	113.34 (-129.72)	0.50 (1,979.82)	- (-)
		संबंधित प्रावधान	-11.57 (-1.17)	10.62 (-15.18)	0.45 (10.96)	0.50 (5.39)	- (-)	-11.62 (-1.52)	1.84 (-24.35)	9.28 (20.48)	0.50 (5.39)	- (-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-5 (-43)	-24 (-211)	-162 (-520)	-41 (-29)	-232 (-803)	-29 (-60)	-77 (-244)	-218 (-575)	-45 (-35)	-369 (-914)
		बकाया राशि	-483.01 (-157.41)	-126.56 (-2,650.27)	-5,601.59 (-21,678.71)	-454.17 (-1,505.78)	-6,665.33 (-25,992.17)	-494.84 (-361.87)	-135.40 (-2,960.38)	-9,945.80 (-33,463.39)	-619.94 (-1,739.76)	-11,195.98 (-38,525.40)
		संबंधित प्रावधान	-95.96 (-69.35)	-0.28 (-64.58)	-2.36 (-174.37)	-2.19 (-4.24)	-100.79 (-312.54)	-97.98 (-82.93)	-0.65 (-107.73)	-20.21 (-381.07)	-2.46 (-4.63)	-121.30 (-576.36)
7	31 मार्च 2020 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	5,104 (300)	184 (227)	682 (786)	162 (171)	6,132 (1484)	5,892 (332)	296 (394)	829 (972)	184 (197)	7,201 (1895)
		बकाया राशि	2,199.61 (3,909.81)	536.32 (29.83)	2,479.42 (8,004.74)	349.51 (803.16)	5,564.86 (12,747.54)	2,421.99 (4,101.96)	753.82 (337.15)	4,858.18 (14,656.62)	846.92 (1,466.35)	8,880.91 (20,562.08)
		संबंधित प्रावधान	183.85 (319.57)	76.80 (0.85)	15.41 (15.23)	2.60 (4.05)	278.66 (339.70)	193.26 (330.77)	76.80 (7.29)	31.67 (40.11)	2.60 (4.32)	304.33 (382.49)

टिप्पणी :

1. बकाया में ₹ 572 करोड़ की वृद्धि (पिछले वर्ष ₹ 8,263.39 करोड़) नई वृद्धि में सम्मिलित है।
2. ₹ 5,616 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 27,360.50 करोड़) की बंदी और ₹597 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,133.75 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान नहीं की गई मानक आस्तियाँ योग के कालम में शामिल नहीं की गयी है।

घ) आरबीआई के परिपत्र क्रमांक डीबीआर क्र. बीपी. बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1.01.2019 के अनुसार पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुनर्संरचित की संख्या	60,057	17,419
कुल बकाया	2,872.49	627.64

ङ) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

क्रं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	5,139.76	4,537.11
ii	जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	-	5,139.76
iii	उप योग (क)	5,139.76	9,676.87
iv	घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली वास्तविक अपलेखन(ख)		
v	31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	-	5,139.76

च) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	खातों की संख्या	32	47
ii	प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	101.17	2,227.88
iii	समग्र प्रतिफल	1,236.62	4,330.99
iv	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल)#	-	-
v	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/(हानि	1,135.45	2,103.11

*भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

#इसमें प्रभार/(ब्याज) के रूपये में जमा की गई ₹ निरक (पिछले वर्ष ₹ 4.11 करोड़) की राशि शामिल है।

छ) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	170.82	1,075.12

ज) क्र की गई अनर्जक आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	(क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

झ) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	15	29
2) कुल बकाया राशि	551.59	6,545.21
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	271.15	3,155.43

ञ) मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	11,544.24	12,396.68

18.5 व्यवसाय अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.45%	6.55%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.13%	0.99%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.71%	1.49%
iv. आस्तियों पर आय*	0.38%	0.02%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	21.05	18.77
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	578.98	33.39

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6 आस्ति देयता प्रबंधन: 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक किंतु 2 मास तक	2 से अधिक किंतु 3 मास तक	3 से अधिक किंतु 6 मास तक	6 से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	50,412.96	89,018.26	48,210.68	82,393.15	1,26,563.94	1,09,843.95	3,16,203.23	6,02,960.92	5,92,806.58	3,24,913.60	8,98,293.46	32,41,620.73
	(20,801.66)	(67,397.57)	(38,395.92)	(70,124.55)	(1,09,112.89)	(1,04,290.94)	(2,80,613.69)	(5,56,965.57)	(5,31,671.81)	(3,03,630.51)	(8,28,380.90)	(29,11,386.01)
अग्रिम	57,442.98	14,151.74	16,608.14	31,096.94	42,616.30	44,774.93	75,159.25	1,16,239.21	10,82,113.87	2,09,766.10	6,35,320.10	23,25,289.56
	(23,338.39)	(13,259.37)	(10,239.57)	(38,815.39)	(31,390.31)	(33,817.93)	(69,805.47)	(1,00,265.25)	(10,91,890.56)	(2,90,220.65)	(4,82,834.03)	(21,85,876.92)
निवेश	188.13	4,423.08	3,965.20	17,133.59	20,404.80	33,033.97	45,189.57	70,272.40	182,741.13	1,55,126.51	5,14,476.14	10,46,954.52
	(22.36)	(6,432.46)	(2,525.26)	(13,582.82)	(8,105.72)	(22,921.96)	(25,099.70)	(42,890.15)	(1,66,758.51)	(1,81,538.37)	(4,97,144.64)	(9,67,021.95)
उधार-राशियाँ	915.24	13,829.39	4,180.76	9,892.09	20,370.67	27,941.89	41,265.36	55,907.52	78,368.05	49,093.15	12,891.53	3,14,655.65
	(16,679.67)	(89,536.61)	(3,684.07)	(20,965.35)	(57,773.72)	(20,810.07)	(27,681.37)	(34,911.01)	(47,258.20)	(28,896.05)	(54,821.00)	(4,03,017.12)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	44,464.27	5,354.64	8,137.20	20,603.01	25,000.46	23,193.94	36,944.55	43,842.32	1,12,403.17	83,445.52	47,435.08	4,50,824.16
	(43,190.02)	(3,268.05)	(3,451.22)	(10,523.17)	(18,236.76)	(16,732.11)	(35,576.40)	(41,045.46)	(95,815.96)	(83,623.23)	(39,988.32)	(3,91,450.70)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	25,950.88	15,075.64	8,027.84	18,994.07	29,216.63	35,828.10	54,776.09	62,965.89	64,113.98	46,576.87	13,758.15	3,75,284.14
	(24,255.18)	(17,027.04)	(4,671.82)	(29,440.95)	(23,767.03)	(29,231.40)	(40,986.24)	(65,749.56)	(59,114.18)	(47,839.17)	(15,742.68)	(3,57,825.25)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश(निवल का प्रावधान व्यगकर) को दर्शाते हैं

$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2019 के हैं)

18.7 एक्स्पोजर (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को भी ऋण प्रदान करता है।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर**		
	i) आवासीय बंधक	3,58,599.62	3,28,969.21
	ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूरी तरह प्रतिभूत।	3,58,599.62	3,28,969.21
	जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसंख्या >= 10 लाख) में (i) 35 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आवास ऋण (पिछला वर्ष 35 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 25 लाख रुपए (पिछला वर्ष 25 लाख रुपए)।	1,50,689.19	1,54,846.41
	ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	31,607.67	38,764.19
	iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:	9,781.26	-
	क) आवासीय	-	-
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	9,781.26	-
II	**अप्रत्यक्ष एक्सपोजर**		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	1,07,004.65	96,683.37
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	**5,06,993.20**	**4,64,416.77**

ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	8,534.42	8,438.87
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रतिभूति पर अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	19.16	24.41
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	93.49	26.07
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	975.44	8,114.07
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	14.09	135.91
6)	संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉरपोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	13.82	1.68
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	Nil	Nil
8)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	Nil	Nil
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	Nil	0.13
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	3,352.74	2,185.02
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**13,003.16**	**18,926.16**

ग) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अतः यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	16,716.77	90,015.33	निरंक	121.06
बहुत कम	1,56,986.73	53,189.73	145.81	निरंक
कम	20,546.89	11,366.00	निरंक	निरंक
मध्यम	8,326.76	17,523.32	निरंक	निरंक
अधिक	21,883.14	7,126.62	निरंक	निरंक
अत्यधिक	10,242.33	8,314.33	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	318.01	1,299.06	निरंक	निरंक
कुल	**2,35,020.63**	**1,88,834.39**	**145.81**	**121.06**

घ) एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को दिए गए ऋणों में बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील जोखिम सीमा में ही एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को ऋण दिया है।

ङ) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	5,59,246.43	5,22,939.34
i)	इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	निरंक
ii)	ii) इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	निरंक

18.8 विविध

क. अर्थदंडों का प्रकटीकरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने उसके बैंक द्वारा आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों आदि पर जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर बैंक पर कुल 7.00 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर बैंक पर 0.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

ख एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए अर्थदंड

एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए कोई अर्थ दंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएँ

क) लेखा मानक - 5 "अवधि के निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि के मदों तथा लेखा मानकों में परिवर्तन"

- वर्ष के दौरान पूर्व अवधि के आय/खर्च की कोई भी महत्वपूर्ण मदें नहीं रहीं।
- पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान सहयोगियों में निवेश को छोडकर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई भी बदलाव नहीं है। इस बदलाव का 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर कोई भी प्रभाव नहीं रहा।

क) लेखा मानक - 15 "कर्मचारी हितलाभ"

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

नीचे दी गई तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	95,362.15	87,786.56	12,189.05	12,872.60
वर्तमान सेवा लागत	953.34	1,060.57	447.17	410.51
ब्याज लागत	7,428.71	6,812.24	947.09	1,001.49
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	13,619.61	6,434.95	1,224.38	(107.62)
प्रदत्त लाभ	(3,914.34)	(3,966.53)	(1,955.13)	(1,987.93)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(3,619.10)	(2,765.64)	-	-
31 मार्च 2020 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	1,09,830.37	95,362.15	12,852.56	12,189.05
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2019 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	90,399.61	85,249.60	10,326.00	9,140.76
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7,015.01	6,615.37	803.36	711.15
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,407.68	2,391.18	1,146.88	2,359.86
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	0.28	0.34	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,914.34)	(3,966.53)	(1,955.13)	(1,987.93)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,550.28	109.65	249.84	102.16
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	97,458.52	90,399.61	10,570.95	10,326.00
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2020 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,09,830.37	95,362.15	12,852.56	12,189.05
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	97,458.52	90,399.61	10,570.95	10,326.00
कमी/(अधिशेष)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	1,09,830.37	95,362.15	12,852.56	12,189.05
आस्तियाँ	97,458.52	90,399.61	10,570.95	10,326.00
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	953.34	1,060.57	447.17	410.51
ब्याज लागत	7428.71	6,812.24	947.09	1,001.49
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(7,015.01)	(6,615.37)	(803.36)	(711.15)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	(0.28)	(0.34)	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	2,707.50
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	12,069.33	6,325.30	974.54	(209.78)
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	13,436.09	7,582.40	1,565.44	3,198.57
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7,015.01	6,615.37	803.36	711.15
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,550.28	109.65	249.84	102.16
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	8,565.29	6,725.02	1,053.20	813.31
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	1,024.34
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	13,436.09	7,582.40	1,565.44	3,198.57
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(3,619.10)	(2,765.64)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,407.68)	(2,391.18)	(1,146.88)	(2,359.86)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.60%	19.42%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	36.89%	36.84%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा राशियाँ	30.68%	26.35%
म्यूचुअल फंड	3.36%	3.53%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2.56%	10.85%
अन्य	2.91%	3.01%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.83%	7.79%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.83%	7.79%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.40%	5.20%
पेंशन बढ़ोतरी दर	0.80%	0.40%
अट्रीशन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.84%	7.77%
वेतन बढ़ोतरी	5.40%	5.20%
सेवा त्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

योजना में अधिशेष / कमी

ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	7,332.14	7,291.02	12,872.60	12,189.05	12,852.56
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6,879.77	7,281.18	9,140.76	10,326.00	10,570.95
अंतर	452.37	9.84	3,731.84	1,863.05	2,281.61
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	2,707.50	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	452.37	9.84	1,024.34	1,863.05	2,281.61

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	326.09	10.62	399.62	(212.11)	382.17
योजना आस्ति (हानि)/ लाभ	(43.09)	182.34	(25.96)	102.16	249.84

योजना में अधिशेष / कमी

पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	59,151.41	67,824.90	87,786.56	95,362.15	1,09,830.37
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	53,410.37	64,560.42	85,249.60	90,399.61	97,458.52
अंतर	5,741.04	3,264.48	2,536.96	4,962.54	12,371.85
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	5,741.04	3,264.48	2,536.96	4,962.54	12,371.85

एक्सपिरियंस समायोजन

(₹ करोड़ में)

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	5,502.35	3,007.59	4,439.54	3,642.57	4,078.53
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	(162.93)	2,246.60	(135.07)	109.65	1,550.28

आगामी वर्ष की पेंशन और ग्रेच्युटी निधि हेतु अनुमानित अंशदान क्रमशः ₹2,348.90 करोड़ और ₹1383.89 करोड़ है।

चूँकि योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर के बराबर रखा गया है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। लेखा-परीक्षकों ने तथा पूर्वानुमानुमानो को स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए। धारनाओं में धारणाओं को संशोधित किया गया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन “निरंक” देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2019 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	30,487.93	29,934.63
वर्तमान सेवा लागत	1,017.99	943.07
ब्याज लागत	2,455.49	2,475.08
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,104.84	1,330.76
बिमाकिंक हानिक / (लाभ)	208.49	-
प्रदत्त लाभ	(4,086.25)	(4,195.61)
31 मार्च 2020 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	31,188.49	30,487.93
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2019 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	32,179.93	31,502.49
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,455.49	2,475.08
अंशदान	2,122.82	2,273.83
अनर्णक निवेश को परिपक्वता हानि का प्रावधान	(467.66)	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,086.25)	(4,195.61)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(100.11)	124.14
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	32,104.22	32,179.93
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2020 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	31,188.49	30,487.93
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	32,104.22	32,179.93
कमी/(अधिशेष)	(915.73)	(1,692.00)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	915.73	1,692.00
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,017.99	943.07
ब्याज लागत	2,455.49	2,475.08
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,455.49)	(2,475.08)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	1,017.99	943.07
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1,017.99	943.07
नियोक्ता का अंशदान	(1,017.99)	(943.07)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	**भविष्य निधि**
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	34.72%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	28.12%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा राशियॉं	31.20%
म्यूचुअल फंड	2.62%
अन्य	3.34%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	**भविष्य निधि**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
डिस्काउंट दर	6.84%	7.77%
गारंटी कृत प्रतिलाभ	8.50%	8.55%
अट्रीशन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.40%	5.20%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

(क) पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

(ख) तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्ती वर्ष 2019-20, ₹ 541.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 451.39 करोड़ का अंशदान किया।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

(क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,870.40	6,242.18
वर्तमान सेवा लागत	284.97	259.33
ब्याज लागत	533.83	485.64
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	769.88	741.53
प्रदत्त लाभ	(926.04)	(858.28)
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	7,533.04	6,870.40
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	284.97	259.33
ब्याज लागत	533.83	485.64

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	769.88	741.53
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,588.68	1,486.50
तुलन-पत्र में शामिल प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	6,870.40	6,242.18
उपरोक्तानुसार व्यय	1,588.68	1,486.50
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(926.04)	(858.28)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	7,533.04	6,870.40

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
वेतन वृद्धि	5.40%	5.20%
अट्रीशन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

(ख) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक के वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ₹21.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.53 करोड़) की राशि का प्रावधान अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किया गया है जिसे "कर्मचारीयों को भुगतान व उनके लिए प्रावधान" शीर्षक के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाता में रखा गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किए गए प्रावधानों के विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियात (नकदीकरण / सुविधा प्राप्त करना)	20.00	35.00
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	सिल्वर जुबली अवार्ड	3.91	(1.47)
4	सेवानिवृति पर पुनर्वास व्यय	1.01	(4.15)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृति पुरस्कार	(3.21)	(7.85)
योग		**21.71**	**21.53**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
वेतन में वृद्धि	5.40%	5.20%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ग) लेखा मानक - 17 "खंडवार सूचना"

1. खंड अभिनिर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कारपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

ii. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

iii. कारपोरेट/थोकबैंकिंग-

कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

iv. खुदरा बैंकिंग-

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, जिसमें प्राथमिक रूप से इन शाखाओं से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

v. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मुख्य संसाधन संग्रहण (मोबिलाईसिंग) इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग तथा ट्रेजरी खंड खुदरा बैंकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार संबंधित निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एमआरएफटीपी) का पालन किया जाता है जिसके अंतर्गत निधियन केंद्र नामक एक पृथक्क इकाई सृजित की गई है। निधियन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमा अथवा उधार के रूप में सृजित की जाने वाली निधियों का कल्पित क्रय करती है तथा आस्तियां सृजित करने में संलिप्त व्यवसाय इकाइयों को निधियों का कल्पित विक्रय करती है।

IV. व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेज़री	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	75,054.51	90,248.46	1,30,906.66	-	2,96,209.63
	(77,651.11)	(78,599.78)	(1,20,968.24)	(-)	(2,77,219.13)
अन-आबंटित आय #					119.80
					(863.86)
कुल आय #					2,96,329.43
					(2,78,082.99)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)#	9,446.53	(-) 3,996.75	18,058.78	-	23,508.56
	(6,831.17)	(-16,262.12)	(12,730.51)	(-)	(3,299.56)
जोडें: अतिरिक्त मदें	6,215.64				6,215.64
	(473.12)				(473.12)
परिणाम (विशेष मदों के बाद)#	15,662.17	(-) 3,996.75	18,058.78	-	29,724.20
	(7304.29)	(-16,262.12)	(12,730.51)	(-)	(3,772.68)
अन-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					(-) 4,661.44
					(-2,165.20@)
कर पूर्व लाभ #					25,062.76
					(1,607.48)
कर #					10,574.65
					(745.25)
असाधारण लाभ #					निरंक
					निरंक
निवल लाभ #					14,488.11
					(862.23)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	11,34,532.91	11,77,636.15	15,80,600.47	-	38,92,769.53
	(10,02,841.57)	(11,33,271.13)	(14,91,676.59)	(-)	(36,27,789.29)
अन-आबंटित आस्तियां *					58,624.39
					(53,124.96)
कुल आस्तियां *					39,51,393.92
					(36,80,914.25)
खंड देयताएं *	10,18,341.71	11,62,918.88	14,60,117.68	-	36,41,378.27
	(8,37,911.69)	(11,64,572.02)	(13,89,432.28)	(-)	(33,91,915.99)
अन-आबंटित देयताएँ*					78,008.22
					(68,084.44)
कुल देयताएँ *					37,19,386.49
					(34,60,000.43)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

@ में ₹ 1,087.43 करोड़ की विशेष मद भी शामिल है

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	2,81,486.59	2,63,866.57	14,842.84	14,216.42	2,96,329.43	2,78,082.99
निवल लाभ #	10,332.81	(-) 3,075.19	4,155.30	3,937.42	14,488.11	862.23
आस्तियाँ*	35,11,389.86	32,85,791.00	4,40,004.06	3,95,123.25	39,51,393.92	36,80,914.25
देयताएँ *	32,79,382.43	30,64,877.18	4,40,004.06	3,95,123.25	37,19,386.49	34,60,000.43

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
* 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार

ग) लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"

1. संबंधित पक्ष

ए) अनुषंगियाँ

i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड
3. एसबीआई कनाडा बैंक
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके लिमिटेड)
6. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
7. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
8. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

ii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.
3. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.
4. एसबीआईकैप वैंचर्स लि.
5. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
6. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
7. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
8. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
9. एसबीआई पेमेंटस सर्विसेज प्रा. लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
12. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
13. एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
14. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा.लि.
15. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
16. एसबीआई फाउंडेशन

iii. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.
2. एसबीआई कैप (यूके) लि.
3. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा
5. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-ऐज टेक्नोलॉजी लि.
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीस प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. पूर्वांचल बैंक
10. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
11. उत्कल ग्रामीण बैंक
12. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
13. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
14. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii. **अन्य**

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
4. यस बैंक लिमिटेड (14 मार्च 2020 से प्रभावी)

घ. **बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
2. श्री पी.के.गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)
4. श्री अरिजीत बसू, प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह एवं आईटी)
5. श्रीमती अंशुला कांत, प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्तियां, जोखिम एवं अनुपालन) (01.04.2019 से 31.08.2019 तक)
6. श्री चेल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्तियां) 20.01.2020 से

2 **वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए**

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. **लेनदेन एवं शेष राशियां**

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च 2020 को बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	746.45	निरंक	746.45
	(46.09)	निरंक	(46.09)
अन्य देयताएँ	0.06	निरंक	0.06
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	300.00	निरंक	300.00
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	113.50	निरंक	113.50
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	11,003.36	निरंक	11,003.36
	(106.06)	(निरंक)	(106.06)
अन्य आस्तियां	212.33	निरंक	212.33
	(200.38)	(निरंक)	(200.38)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	767.06	निरंक	767.06
	(206.16)	(निरंक)	(206.16)
अन्य देयताएँ	0.06	निरंक	0.06
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमाराशियां और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	300.00	निरंक	300.00
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	113.50	निरंक	113.50
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	11,003.36	निरंक	11,003.36
	(106.06)	(निरंक)	(106.06)
अन्य आस्तियां	212.33	निरंक	212.33
	(200.38)	(निरंक)	(200.38)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	4.89	निरंक	4.89
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
ब्याज व्यय	0.82	निरंक	0.82
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
लाभांश से अर्जित आय	17.88	निरंक	17.88
	(21.78)	(निरंक)	(21.78)
अन्य आय	0.74	निरंक	0.74
	(0.73)	(निरंक)	(0.73)
अन्य व्यय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
प्रबंधन संविदाएँ	निरंक	1.38	1.38
	(निरंक)	(1.32)	(1.32)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार के बहुत महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हैं।

ऐ) लेखा-मानक - 19 "पट्टा"
परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	116.77	136.94
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	399.69	485.41
5 वर्ष के पश्चात	104.46	110.90
योग	**620.92**	**733.25**

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹ 3,338.41 करोड़ (₹3,309.41 करोड़).

घ) लेखा मानक -20 "प्रति शेयर उपार्जन"

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,87,534
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	निरंक	24,000
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,91,479
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,91,479
निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	14,488.11	862.23
प्रति शेयर मूल आय (₹)	16.23	0.97
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	16.23	0.97
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1	1

ऑ) लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन"

क. वर्तमान कर :-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹3,063.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 208.87 करोड़ क्रेडिट) वर्तमान कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख. आस्थगित कर :-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹7,510.99 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए हैं। (पिछले वर्ष ₹954.12 करोड़)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) ₹2,927.28 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 10,420.16 करोड़) रहीं, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹ 6.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.33 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹ 2,933.44 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 10,422.49 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियां' (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	6,425.50	5,321.84
अग्रिमों के लिए प्रावधान	2,757.68	4,142.69
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	665.72	753.11
संचित हानि पर (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों सहित)	-	10,741.74
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	809.99	235.77
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	116.18	29.53
विदेशी कार्यालयों से	253.17	277.67
योग	**11,028.24**	**21,502.35**
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	4,563.17	6,389.76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,531.63	4,690.10
विदेशी कार्यालयों से	6.16	2.33
योग	**8,100.96**	**11,082.19**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**2,927.28**	**10,420.16**

ग. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर के लिए प्रावधान को मान्य करते हुए बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 बीएए के अंतर्गत अनुमत निचली कर दर के विकल्प को चुना है। तदनुसार, बैंक ने उल्लिखित धारा में निर्धारित कर दर के आधार पर 31 मार्च, 2019 को अपनी आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया तथा उस एमएटी क्रेडिट को पलट दिया जो अब उसके पास उपलब्ध नहीं है। इस परिवर्तन का प्रभाव ₹ 3,392.31 का एक-बारगी प्रभार है।

छ) लेखा मानक-27 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

निवेशों में ₹ 97.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹97.66 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
2	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि	18.57 (18.57)	भारत	45%
3	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
4	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
5	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.#	- (-)	बरमुडा	45%
6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
8	जियो पेमेंट्स बैंक	69.60 (69.60)	भारत	30%

मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट पीटीई लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने निवेश पर 100% प्रावधान किया है।

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	242.72	214.01
जमा-राशियाँ	6.25	5.50
उधार-राशियाँ	-	8.04
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	59.47	56.99
योग	**308.44**	**284.54**
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	1.28	0.65
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	88.68	70.48
निवेश	104.74	90.95
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	32.19	28.53
अन्य आस्तियाँ	81.55	93.93
योग	**308.44**	**284.54**
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	0.56	2.63
आय		
अर्जित ब्याज	9.75	8.70
अन्य आय	184.37	188.09
योग	**194.12**	**196.79**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.28	0.20
परिचालन व्यय	133.69	120.78
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	14.70	22.95
योग	**148.67**	**143.93**
लाभ	**45.45**	**52.86**

ज) लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

झ) लेखांकन मानक-29 "प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां"

आकस्मिक देयताओं का विवरणः

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए अप्रदत्त शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। कल्पित राशियां, जो आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की जाती हैं, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्धृत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ञ) आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	525.26	503.16
वर्ष के दौराह जोड़ी गई राशि	137.17	112.81
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	5.30	51.51
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	28.51	39.20
इतिशेष	**628.62**	**525.26**

18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्यौरा	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- वर्तमान कर	2,803.14	491.13
- आस्थगित कर	7,510.99	954.12
- आय कर का प्रतिलेखन / आयकर का अतिरिक्त प्रावधान	260.53	(-) 700.00
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	538.55	(-) 762.09
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	42,997.50	54,617.72
पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 221.54	(-) 88.66
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 877.40	(-) 74.55
अन्य प्रावधान	632.73	136.13
योग	**53,644.50**	**54,573.80**

2. अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	193.75	193.75
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण	-	-
इतिशेष	**193.75**	**193.75**

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति:

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम से संबंधित शिकायतों सहित)

विवरण	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,39,029	79,259
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	38,08,400	42,21,491
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	37,71,372	41,61,721
वर्ष के अंत में विचाराधीन/ लंबित शिकायतों की संख्या	1,76,057	1,39,029

एक कार्यदिवस के भीतर समाधान की गई शिकायतें शामिल नहीं

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	5	8
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	15	19
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	16	22
वर्ष के अंत तक कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	4	5

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

6. चुकौती आश्वासन पत्र :

31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्ज न किया गया हो।

7. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार के बैंक सकल अनर्जक आस्ति अनुपात हेतु 83.62% का प्रावधान किया गया। (पिछला 78.73%)

8. बैंक-बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1,116.93	951.90
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	314.52	270.86
एनटीयूसी एवं मनु लाइफ फाइनैंसियल लि.	0.86	1.20
टोकियो मैरिन एण्ड एसीई	2.31	1.63
यूनिट ट्रस्ट / एवं एलआइसी	0.35	0.47
एआईए सिंगापुर	1.12	0.64
योग	**1,436.09**	**1,226.70**

9. जमाराशियों, अग्रिमों, जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमाराशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	95,385.85	90,609.54
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	2.94%	3.11%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि	3,10,707.52	2,89,222.17
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	12.82%	12.61%

ग. ऋण जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम	5,25,714.23	4,47,140.43
बैंक के कुल ऋण जोखिम में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	13.93%	12.80%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम	25,880.11	30,314.49

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,04,185.71	32,558.27	15.95	1,99,789.60	23,335.83	11.68
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा वृहद)	1,01,080.54	18,738.88	18.54	97,116.64	12,545.61	12.92
3	सेवाएँ	83,870.61	5,289.20	6.31	99,232.43	9,674.48	9.75
4	वैयक्तिक ऋण	1,66,800.34	3,131.18	1.88	1,59,419.70	2,882.01	1.81
	उप-योग (क)	**5,55,937.20**	**59,717.53**	**10.74**	**5,55,558.37**	**48,437.93**	**8.72**
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,235.29	229.81	10.28	19,403.93	89.00	0.46
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा वृहद)	10,54,285.42	74,644.63	7.08	9,75,896.74	1,12,411.63	11.52
3	सेवाएं	2,21,642.21	9,686.06	4.37	2,47,541.38	8,007.30	3.23
4	वैयक्तिक ऋण	5,88,744.65	4,813.82	0.82	4,95,053.70	3,804.50	0.77
	उप-योग (ख)	**18,66,907.57**	**89,374.32**	**4.79**	**17,37,895.75**	**1,24,312.43**	**7.15**
ग	**योग (क)+(ख)**	**24,22,844.77**	**1,49,091.85**	**6.15**	**22,93,454.12**	**1,72,750.36**	**7.53**

11. विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	4,40,004.06	3,95,123.25
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	1,650.16	1,937.19
3	कुल राजस्व	14,842.84	14,216.42

12. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशीय	**विदेशी**
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर अनुपालन में बैंक द्वारा रखी गई कुल जोखिम राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
4.	एमएमआर से अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित जोखिम की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				

14. ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/जाएंगे				
	ख) नकद निपटान				
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए संरक्षण की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/जाएंगे				
	ख) नकद निपटान				
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जहां क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त किया गया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) चालू वर्ष के लेनदेन से संबंधित				
	ख) पिछले वर्ष (वर्षों) के लेनदेन से संबंधित				
4.	अब तक पिछले वर्ष दौरान सीडीएस लेनदेन से संबंधित निवल आय/लाभ (खर्च/हानि)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) अदा किया गया/प्राप्त किया गया प्रीमियम				
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान :				
	• अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)				
	• प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)				
5.	31 मार्च को बकाया लेनदेन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) लेनदेनों की संख्या				
	ख) संरक्षण की राशि				
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन का उच्चतम बकाया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल को)				
	ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल को)				

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	32,578.25	27,765.01
ii	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	32,577.04	27,765.01
iii	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	0.86%	0.79%
iv	अंतरा-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	निरंक	निरंक

16. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईए निधि को अंतरित राशियों का प्रारंभिक अथशेष	2,852.66	2,125.62
जमा : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	557.22	736.65
घटाः दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	22.23	9.61
डीईए निधि को अंतरित राशियों का इतिशेष	3,387.65	2,852.66

17. बचाव नहीं (अनहेड्ज) किया गया विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

'संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान किया।

31 मार्च 2020 के अनुसार ₹108.84 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 98.13 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए तथा ₹28.54 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹43.19 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए पूंजी आबंटन किया गया।

18. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डी ओ आर संख्या बीपी. बीसी. 63/21.04.048 / 2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार कोविड 19 विनियामक पैकेज के संबंध में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	चालू वर्ष
i.	संबंधित राशियाँ जहां अधिस्थगन/स्थगन की सुविधा दी गई	5,63,896.15
ii.	उपर्युक्त (i) में से वह राशि जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया	6,250.31
iii.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,172.00

19. चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर):

क) स्टैण्डअलोन एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखें जिन्हें अत्यधिक गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिनों की समयावधि के लिए तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदला जा सके। एलसीआर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-

$$\frac{\text{'उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)' का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह}}$$

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आस्तियाँ शामिल है जिन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए जिन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को शामिल किया जाता है, अर्थात स्तर-1 तथा स्तर-2 आस्तियाँ। स्तर-1 0% मार्जिन (हेयरकट) वाली है, स्तर-2ए तथा स्तर-2बी आस्तियाँ क्रमशः 15% तथा 50% हेयरकट वाली हैं। आगामी 30 कलैंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह में से कुल प्रत्याशित नकदी बर्हिप्रवाह घटाने के बाद कुल निवल नकदी प्रवाह निकाला जाता है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों या देयताओं के प्रकारों तथा तुलन पत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं के प्रत्याशित प्रवाह या आहरण की दर से गुणा करके की जाती है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों तथा कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह के कुल 75% की अधिकतम सीमा तक प्रत्याशित प्रवाह की दर से गुणा करके की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

चलनिधि कवरेज अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक

(₹ करोड़ में)

		मार्च 2020 तिमाही की समाप्ति पर		31 दिसंबर, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		30 सितंबर, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		30 जून, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		31 मार्च, 2019 तिमाही की समाप्ति पर	
	एलसीआर घटक	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ										
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		8,92,622		8,55,661		7,78,396		7,14,428		6,99,153
	नकदी बहिर्गमन										
2	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	3,15,743	15,787	3,32,079	16,604	3,29,339	16,467	3,25,871	16,294	3,23,269	16,163
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	20,30,618	2,03,062	19,93,593	1,99,359	19,18,518	1,91,852	18,81,901	1,88,190	18,50,120	1,85,012
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	757	189	813	203	712	178	908	227	1,208	302
(ii)	गैर परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	7,27,791	4,42,254	6,85,022	4,05,434	6,77,795	4,04,580	6,65,501	3,97,642	6,35,727	3,73,978
(iii)	अप्रतिभूत उधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	1,652	18	128	-	163	-	23,601	9	72,120	54
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से:										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,56,235	1,56,235	1,39,378	1,39,378	1,36,479	1,36,479	1,56,233	1,56,233	1,70,833	1,70,833
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	42,467	6,050	46,145	6,787	42,098	6,396	42,285	6,309	39,337	6,053
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	34,641	34,641	33,046	33,046	31,839	31,839	30,176	30,176	35,561	35,561
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	5,56,385	19,965	5,66,220	20,252	5,46,604	19,520	5,53,283	19,955	5,72,831	20,941
8	कुल नकदी बहिर्गमन	38,66,288	8,78,200	37,96,424	8,21,063	36,83,547	8,07,311	36,79,759	8,15,033	37,01,005	8,08,896
	नकदी अंतर्वाह										
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	48,756	-	41,132	-	42,876	-	6,415	-	7,938	-
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,41,553	2,21,788	2,11,675	1,97,465	2,02,274	1,86,506	2,21,243	2,04,882	2,39,416	2,22,009
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	42,453	34,750	50,232	42,212	53,284	44,462	49,555	41,558	37,977	31,086
12	कुल नकदी अंतर्वाह	3,32,762	2,56,538	3,03,038	2,39,677	2,98,434	2,30,968	2,77,213	2,46,440	2,85,331	2,53,095
13	कुल एचक्यूएलए		8,92,622		8,55,661		7,78,396		7,14,428		6,99,153
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		6,21,662		5,81,386		5,76,343		5,68,594		5,55,801
15	चल निधि सुरक्षा अनुपात (%)		143.59%		147.18%		135.06%		125.65%		125.79%

नोट 1: भारतीय रिज़र्व बैक के परिपत्र संख्या आरबीआइ/2014-15/529 डीबीआर स. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15 दिनांकित 31 मार्च, 2015 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, औसत भारित तथा अभारित राशियों की गणना 1 जनवरी 2017 से साधारण दैनिक औसत को ध्यान में रखते हुए तथा जनवरी- मार्च 2020 तिमाही के लिए 68 दिनों के डाटा प्वाईंट लेकर की गई है।

नोट 2 : बैंक ने ओएफएसएए प्रणाली को लागू किया है, जहां देशीय 1 मार्च 2018 से एलसीआर की दैनिक गणना स्वचालित है।

एलसीआर स्थिति आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 100% की सीमा से अधिक है। बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 19-20 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 143.59% हैं। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹ 8,92,622 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 94.50% थीं। सरकारी प्रतिभूतियां कुल स्तर 1 आस्तियों का 96.99% थी। स्तर-2ए आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 4.99% तथा स्तर-2बी आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 0.51% थीं। इस अवधि में एचक्यूएलए में संसाधनों के अत्यधिक नियोजन के कारण एचक्यूएलए स्तर में ₹36,961 करोड़ की वृद्धि हुई है। खुदरा जमाराशियों. में वृद्धि एवं पीएसई, एनएफसी, सॉवरिन, अन्य कानूनी संस्थाओं से गैर - परिचालन जमाराशियां बढ़ने के कारण खुदरा जमाराशियों में निवल ₹40,276 करोड़ की वृद्धि हुई है। अंतर्वाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तिमाही के दौरान, औसत एलसीआर के लिए यूएसडी (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है, 103.31% रहा।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएल) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत सुविभाजित हो तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित करता रहा है। भली भांति विविधीकृत खुदरा जमाएँ कुल निधीयन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ख. समेकित एलसीआर

31 मार्च 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं हैंः भारतीय स्टेट बैंक और आठ विदेशी बैंकिंग अनुषंगियांः बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कोमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मारीशस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि।

जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2020 तीन महीनों के औसत के आधार पर 31 मार्च 2020 को भारतीय स्टेट बैंक समूह का एलसीआर 144.09% बैठता है।

चलनिधि कवरेज अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक समूह

(₹ करोड़ में)

		मार्च 2020 तिमाही की समाप्ति पर		31 दिसंबर, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		30 सितंबर, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		30 जून, 2019 तिमाही की समाप्ति पर		31 मार्च, 2019 तिमाही की समाप्ति पर	
	एलसीआर घटक	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ										
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		8,97,905		8,60,122		7,81,476		7,17,540		7,01,837
	नकदी बहिर्गमन										
2	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां जिनमें:										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	3,23,204	16,160	3,37,819	16,891	3,36,278	16,814	3,32,633	16,632	3,30,107	16,505
(ii)	कम स्थिर जमा राशियाँ	20,39,846	2,03,985	20,02,188	2,00,219	19,27,051	1,92,705	18,90,551	1,89,055	18,59,217	1,85,922
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
(i)	परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	882	220	939	235	822	205	1,024	256	1,333	333
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	7,29,630	4,43,520	6,86,540	4,06,511	6,79,780	4,05,906	6,67,367	3,98,988	6,37,579	3,75,202
(iii)	अप्रतिभूत उधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	1,721	87	128	-	163	-	23,601	9	72,120	54
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से:										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,56,243	1,56,243	1,39,379	1,39,379	1,36,480	1,36,480	1,56,236	1,56,236	1,70,834	1,70,834
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	44,002	7,007	48,086	7,707	44,661	7,409	44,642	7,334	41,230	6,839
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	36,069	36,069	34,086	34,086	32,662	32,662	31,404	31,404	36,556	36,556
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	5,58,222	20,021	5,68,053	20,308	5,48,431	19,576	5,55,308	20,017	5,74,764	21,000
8	कुल नकदी बहिर्गमन	38,89,820	8,83,313	38,17,217	8,25,335	37,06,328	8,11,757	37,02,767	8,19,930	37,23,741	8,13,245
	नकदी अंतर्वाह										
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	48,756	-	41,132	-	42,876	-	6,415	-	7,938	-
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,46,736	2,24,450	2,15,832	1,98,971	2,06,377	1,88,101	2,25,721	2,06,750	2,44,205	2,24,094
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	43,430	35,712	51,102	43,069	53,894	45,051	50,368	42,344	38,892	31,972
12	कुल नकदी अंतर्वाह	3,38,922	2,60,162	3,08,066	2,42,039	3,03,148	2,33,152	2,82,504	2,49,094	2,91,034	2,56,066
13	कुल एचक्यूएलए		8,97,905		8,60,122		7,81,476		7,17,540		7,01,837
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		6,23,152		5,83,296		5,78,605		5,70,836		5,57,179
15	चल निधि सुरक्षा अनुपात (%)		144.09%		147.46%		135.06%		125.70%		125.96%

नोट 1 : 3 महीने के मासिक औसत डेटा विदेशी बैंकिंग अनुषंगियों के समझे गए हैं और दैनिक औसत एसबीआई (एकल) के लिए समझा गया है।

समूह अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित कर रहा है। भली भांति विविधीकृत खुदरा जमाएँ कुल निधीयन स्त्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भविष्यत अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

20. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई कुल 6,964 मामलों में ₹44,622.45 करोड़ की धोखाधड़ियों (पिछला वर्ष 2,616 मामलों में ₹12,387.13 करोड़) में से 651 मामलों में ₹12,310.90 करोड़ (पिछला वर्ष 581 मामलों में ₹ 12,310.90 करोड़) अग्रिमों को धोखाधड़ियाँ घोषित किया गया है। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के रूप में घोषित अग्रिम खाते को छोड़कर वर्ष के दौरान सूचित धोखाधड़ी के संबंध में 31 मार्च 2020 तक बकाया शेष राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है जहाँ बैंक ने चार तिमाहियों में प्रावधान करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18 अप्रैल 2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 में दिए गए निदेशों के अनुसार 31 मार्च 2020 की ₹ 5,230.37 करोड़ की गैर -परिशोधित प्रावधान राशि को "अन्य प्रावधान" को नामें और ऋण को "प्रावधान" में जमा किया गया है।

21. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

22. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹0.84 करोड़ (पिछला वर्ष ₹173.37 करोड़) कमी को चालू वर्ष में प्रभारित किया गया है।

23. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र क ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीदारी की है :-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	47,525.75	16,272.75
2.	पीएसएलसी कृषि	-	1,223.00
3.	पीएसएलसी सामान्य	30,451.25	33,557.50
4.	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	9,352.00	553.00
	योग	**87,329.00**	**51,606.25**

31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

24. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)

""अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के उपयोग" पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2014 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

25. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या डीबीआर. क्र. बीपी 15199/21.0404-B/2016-17 तथा डीबीआर बीपी 1906/21.4048/2017-18 दिनांक 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 के अग्रसर दिवाला और दिवालीया पत्र अस्ति (आईबीसी) के प्रावधानों के आधीन खातो कें लिए बैंक के द्वारा ₹ 5761.46 करोड़ की राशि का प्रावधान कल बकाया राशि 93.53% में दिनांक 31 मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार किया गया है।

26. बैंक ने 01 नवम्बर 2017 से प्रभावी तौर पर संचीवन के अथीन देय वेतन के लिए ₹ 2,999.00 करोड़ रुपयों (31 मार्च 2020 तक संचयी ₹ 8,64241 करोड़) की राशि का प्रावधान किया है।

27. अनुसूची 14 के तहत निवेश की विक्री (निवल) पर लाभ/(हानि) क संबंध में अन्य आय में निम्न लिखित शामिल है।

- बैंक की अनुषंगी एसबीआई लाइक इंसुरैंस कंपनी लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की विक्र पर ₹ 3,484.30 करोड़
- बैंक की अनुषंगी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमैंट सर्विसेस लि. में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर ₹ 42 2731.34 करोड़

28. **तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान:** बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर क्र.बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 के अनुसार अपने 9 उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजना को कार्यान्वित किया है, जिनसे 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,487.28 करोड़ का जोखिम है।

इसके अलावा बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र डीओआर. क्र. बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 में निहित शर्तों के अनुसार अपने 4 उधारकर्ताओं की समाधान अवधि को बढ़ा दिया है, जिनकी 31 मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार जोखिम राशि रु. 1006.91 करोड़ रुपए है।

29. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 मई 2020 के अपने ई-मेल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह निदेश दिए गए हैं कि वर्ष 2019-20 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निहित "क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं" की रिपोर्टिंग को वैकल्पिक कर दिया है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2020-2021 से इस अपेक्षा को पूरा करने का विकल्प लिया है।

30. दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में, हालांकि, चुनौतियों का सामना करना जारी है, बैंक इसे पूरा करने के लिए सभी मोर्चों पर खुद को तैयार कर रहा है । स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक अनवरत आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए बड़ी चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और नकदी प्रवाह को कम करने से पैदा होंगी । इन शर्तों के बावजूद, बैंक की तरलता और लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2020 की अधिसूचना क्र. डीओआर. क्र. बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों से बढ़े ऋण के ब्याज के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने के उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में भुगतान अवधि के ऋणों और कार्यशील पूंजी सुविधाओं का पुनर्निर्धारण, विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में कार्यशील पूंजी वित्तपोषण वर्गीकरण को आसान बनाना और गैर-अनर्जक आस्तियां आदि शामिल हैं। तदनुसार बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

- 6250 करोड़ रुपए के बकाया वाले उन खातों के लिए 15% की दर से 938 करोड़ रुपए का प्रावधान जो 29 फरवरी 2020 तक मानक खाते थे, लेकिन 31 मार्च 2020 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध राहत को हिसाब में न लेने पर 31 मार्च 2020 तक अनर्जक आस्ति/अवमानक श्रेणी में आ गए होंगे।
- उपर्युक्त खातों के संबंध में, 234 करोड़ रुपए की ब्याज आय को परिचालन लाभ में हिसाब में लिया गया है, पर मानक आस्तियों के लिए 234 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

31. बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांककों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 30 जून 2019 (इससे पूर्व जून 2016 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था) को अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है और 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन (निवल राशि सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित की गई) आरक्षित निधि का इति शेष ₹23,762.67 करोड़ रुपए है (पिछले वर्ष ₹ 24,653.94 करोड़)

32. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन/पुनर्वर्गीकरण किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार आंकड़ें दर्शाए गए हैं, वहाँ पिछले वर्षों के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ / हानि		25062,76,50	1607,48,31
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3303,81,33	3212,30,65
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		28,37,38	34,98,24
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		-	2124,03,82
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(6215,64,59)	(473,12,00)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		42775,96,26	54529,06,14
मानक आस्तियों पर प्रावधान		(877,40,17)	(74,55,42)
निवेशों पर मूल्यह्रास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान		538,55,05	(762,09,23)
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		632,73,80	136,12,79
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेश से आय		(212,03,35)	(348,01,18)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		4781,23,16	4112,28,55
		69818,35,37	64098,50,67
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		330234,72,36	205042,72,57
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		(96690,16,61)	37722,44,37
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(74335,04,91)	94719,11,74
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(182188,60,56)	(305525,79,00)
अन्य देयताओ में वृद्धि / (कमी)		13206,59,82	(21247,50,61)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(21255,66,60)	(33604,14,67)
		38790,18,87	41205,35,07
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(13102,32,71)	(6577,83,79)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**25687,86,16**	**34627,51,28**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(6136,07,14)	(2116,29,59)
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		6215,64,59	473,12,00
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों से आय		212,03,35	348,01,18
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(3268,37,96)	(2663,43,31)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(2976,77,16)**	**(3958,59,72)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि (निवल)		-	(8,74,21)
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / (मोचन)		8133,40,00	3033,20,00
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(4781,23,16)	(4112,28,55)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		-	-
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**3352,16,84**	**(1087,82,76)**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**2543,63,55**	**1010,38,16**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी)	**(क)+(ख)+(ग)+(घ)**	**28606,89,39**	**30591,46,96**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**222490,11,15**	**191898,64,19**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**251097,00,54**	**222490,11,15**
टिप्पणी :			
(1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :		**31.03.2020**	**31.03.2019**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		166735,77,90	176932,41,75
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		84361,22,64	45557,69,40
		251097,00,54	**222490,11,15**
(2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया।			

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

निदेशक:	**स्थान:**
श्री संजीव मल्होत्रा	उदगमंडलम
श्री भास्कर प्रामाणिक	नई दिल्ली
श्री बसंत सेठ	कानपुर
डॉ. पुष्पेंद्र राय	नई दिल्ली
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	नई दिल्ली
श्री बी. वेणुगोपाल	मुंबई
श्री चंदन सिन्हा	मुंबई
श्री देवाशीष पांडा	नई दिल्ली
श्री संजीव महेश्वरी	मुंबई

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार

अरविन्द नारायण येन्नमडी
भागीदार: स.क्र. 031004
फर्म पंजी सं.301072 ई
स्थान: मुंबई

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स.क्र. 018159
फर्म पं.क्र.004610 एस
स्थान: एर्नाकुलम

कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सुनीता केडिया
भागीदार: स.क्र. 60162
फर्म पं.क्र. 302082 ई
स्थान: कोलकाता

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. शिव रामकृष्णा प्रसाद
भागीदार: स.क्र. 024860
फर्म प. क्र. 004453 एस
स्थान: हैदराबाद

कृते चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

विठेश डी. गांधी
भागीदार: स.क्र. 110248
फर्म पं.क्र.101720 डबल्यू / डबल्यू 100355
स्थान: मुंबई

कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.आर. तोतला
भागीदार: स.क्र. 071774
फर्म पं.क्र. 000734 सी
स्थान: इन्दौर

कृते एस.के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. बी. सिंह
भागीदार: स.क्र. 073124
फर्म पं.क्र. 000745 सी
स्थान : कानपुर

कृते एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेवा
भागीदार: स.क्र. 090989
फर्म पं.क्र. 000235 एन / एन500089
स्थान: नई दिल्ली

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

पंकज जैन
भागीदार: स.क्र. 48850
फर्म प. क्र. 105049 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस मूर्ति
भागीदार: स.क्र. 072290
फर्म पं.क्र. 001135 एन
स्थान: नई दिल्ली

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स.क्र. 024844
फर्म पं.क्र. 003398 एस
स्थान: चेन्नई

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार: स.क्र. 137686
फर्म पं.क्र.104863 डबल्यू
स्थान: मुंबई

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोकसी
भागीदार: स.क्र. 37606
फर्म पं.क्र.109574 डबल्यू
स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 जून 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संलग्न केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 के तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण, केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ-साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

i. केंद्रीय कार्यालय, 17 स्थानीय प्रधान कार्यालय, 1 प्रशासनिक कार्यालय एवं व्यवसाय इकाई, विश्व बाजार इकाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट लेखा समूह (केंद्रीय), वाणिज्यिक ग्राहक समूह (केंद्रीय), तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (केंद्रीय), केंद्रीय लेखा कार्यालय और 42 शाखाओं की, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

ii. 9135 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा उनके सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों ने की है;

iii. विदेश स्थित 34 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की है।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में उन 14021 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों सहित) की विवरणियां तथा वे जो लेखापरीक्षा के विषय नहीं थे, भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 9.54 प्रतिशत, जमाराशियों में 24.70 प्रतिशत, ब्याज आय में 10.98 प्रतिशत तथा ब्याज व्ययों में 23.37 प्रतिशत है।

हमारे अभिमत में तथा जहाँ तक हमें जानकारी है व हमें दी गई विवरणात्मक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (दोनों इसमें "अधिनियम" के रूप में उल्लिखित) के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी बैंक द्वारा उसी ढंग से दी गई है जैसी उससे अपेक्षित है और यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में बैंक की सही और उचित स्थिति;

ख. इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

ग. इसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं अपना अभिमत देने के लिए वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर ज़ोर

3. हम आपका ध्यान कोविद-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 10.30 की ओर आकर्षित करते हैं। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक चुनौतियों के संबंध में निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है ।

इस मामले में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में इन मामलों का समग्र रूप से समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
i	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान एवं उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पठित अनुसूची 9 को देखें) अग्रिमों में खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर देय ऋण तथा मीयादी ऋण शामिल हैं। इन्हें आगे मूर्त आस्तियों (बही ऋणों के प्रति ऋण सहित), बैंक/सरकारी गारंटी युक्त एवं प्रतिभूति रहित अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	हम अग्रिमों की लेखापरीक्षा आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्रों/निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के अनुसार करते हैं। हमारी लेखापरीक्षा में ये भी शामिल हैं : क. हमें लेखापरीक्षा के लिए आबंटित शाखाओं के संबंध में आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम के रूप में वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दर्ज किए गए आंकड़ों की यथार्थता;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	अग्रिमों में बैंक की कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 58.85% है। इन पर अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिमों के अर्जक और अनर्जक वर्गीकरण संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं, सिवाय विदेश स्थित कार्यालयों, अग्रिम वर्गीकरण और उनके प्रावधानीकरण स्थानीय विनियमों और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति सं.3 के अनुसार आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का हिसाब अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में रखता है, जिससे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान भी होती है। इसके अतिरिक्त एनपीए का वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज़्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जाती है। आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का उचित रूप से पालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के रखरखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) को या तो अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से गलत बताया जा सकता है। लेनदेन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन से जुड़े प्राक्कलन/निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह केवल बैंक के वित्तीय विवरण के प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। अग्रिमों की शेष राशियों में भारी अंतर के कारण तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।	ख. बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार उपलब्ध आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा जैसी निगरानी व्यवस्था और उसकी प्रभावकारिता; ग. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच; घ. हमने बाहरी आईटी सिस्टम लेखापरीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों की भी सहायता ली है। हमने यह सहायता विशेषकर एनपीए का पता लगाने, पहचान करने तथा अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने एवं सीबीएस में प्रयुक्त बिजनेस लॉजिक्स/पैरामीटर्स के संबंध में ली है। ङ भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र/निदेशों के अनुसार प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमने सीसीडीपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के सॉफ्टवेयर के साथ अग्रिमों की मैपिंग की जांच की है। च. हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों के कारगर होने की भी जांच की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए आबंटित की गई शाखाओं में मूलभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी जांच की है। ज. हमने अनर्जक निवेशों की पहचान करने और तदनुरूपी आय को रिवर्स करने एवं प्रावधान करने की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया है। झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है, जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्र व्यवहार भी किया।
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 को वित्तीय विवरण की अनुसची 17 की टिप्पणी 2 के साथ पढ़ा जाए।) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति में किया गया निवेश शामिल हैं। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 26.50% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, हिसाब में न ली गई तदनुरूपी आय एवं उसका प्रावधान शामिल हैं।	निवेशों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/निदेशों के अनुसार की गई है। इसमें आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता को समझना, उनकी समीक्षा एवं जांच करना तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान संबंधी महत्वपूर्ण लेखा कार्यविधियाँ, निवेशों से संबंधित प्रावधानीकरण/मूल्यह्रास शामिल हैं। विशेष रूप से इंसमें क. हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा, ताकि अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान, निवेशों के प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा सके। ख. हमने इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई में कोट की गई दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण प्राप्त करना शामिल है। मूल्यांकन की जटिलताओं, मूल्यांकन से जुड़े निर्णय, लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान और अनर्जक निवेश के प्रावधान पर केंद्रित रही।	ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी हमने जांच की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों को (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल किया गया है; घ. हमने अनर्जक निवेशों की पहचान करने और तदनुरूपी आय को रिवर्स करने एवं प्रावधान करने की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान की राशि और मूल्यह्रास की राशि की फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार अनर्जक निवेशों की जांच की। साथ ही हमने उन चुनिंदा अनर्जक निवेशों के नमूनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र/निदेशों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की है; च. हमने इनवेस्टमेंट एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा सका।
iii	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, अन्य पक्षों द्वारा दायर वे विविध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया, सहित कतिपय मुकद्दमों के मामले में प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताओं का निर्धारण (अनुसूची 12 जिसे वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी 18.9 के साथ पढ़ा जाए) : प्रावधानीकरण के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। बैंक द्वारा आकलन करते समय मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के विवेक, विगत अनुभव एवं जहाँ आवश्यक था, कानूनी एवं स्वतंत्र कर सलाहकारों के परामर्श का भी सहारा लिया गया है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन मामलों के परिणामों जिनके लिए कानून की विवेचना में निर्णय लेना जरूरी होता है, से जुड़ी अनिश्चितता को देखते हुए हमने उपर्युक्त क्षेत्र को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा समीक्षाधीन विषय के विश्लेषण और विधि निर्णयों/विश्लेषणों पर केंद्रित रही।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल हैं: क. लेखापरीक्षा संबंधी आंतरिक नियंत्रण को समझना, जिससे हम परिस्थितियों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा कार्यविधियाँ निर्धारित कर सकें, ख. मुकद्दमों/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना; ग. विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त सूचना और/अथवा हाल ही के आदेशों को पढ़ना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; घ. प्रस्तुत किए गए आधार और आंतरिक कर विशेषज्ञ के अभिमत सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सहायता के संबंध में विचाराधीन मामले के गुणों का मूल्यांकन; ङ. चर्चा के जरिए बैंक के तकरारों की समीक्षा एवं विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण, संभावित परिणाम एवं इन मामलों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह आदि के विवरण प्राप्त करना। च. महत्वपूर्ण तकरारों एवं कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरणों का सत्यापन करना।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
iv	कोविद-19 महामारी फैलने की वजह से लेखापरीक्षा कार्यविधियों में संशोधन : कोविद 19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दूरस्थ व्यवस्था द्वारा लेखापरीक्षा कार्य करने के निदेश दिए गए, जहां भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था। शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों के अधिकारियों के साथ व्यक्तिशह/आमुख वार्ता/चर्चाओं एवं वैयक्तिक बातचीत के जरिए लेखापरीक्षा का प्रमाण हमारे द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के कारण हमने संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है। तदनुसार दूर से लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में संशोधन किया ।	कोविद 19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हम शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों की यात्रा कर नहीं पाएँ और संबद्ध कार्यालयों पर भौतिक रूप से लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरी कर नहीं पाएँ। जहां कहीं भी जाना संभव नहीं था, वहाँ डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं दूरस्थ व्यवस्था से सीबीएस, सीसीडीपी एवं अन्य संबद्ध एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की सुविधा के जरिए हमें आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों एवं अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा कार्य किया गया। वर्तमान अवधि के दौरान लेखापरीक्षा कार्य करने और रिपोर्टिंग के लिए इन पर लेखापरीक्षा प्रमाण का सहारा लिया गया। तदनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा कार्यविधियों में निम्नानुसार संशोधन किए हैं : क. जहां जाना संभव नहीं था, वहाँ बैंक की कुछ शाखाओं/स्थानीय प्रधान कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों का दूरस्थ व्यवस्था से/ई-मेल के जरिए आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों/सीबीएस/सीसीडीपी का सत्यापन किया। ख. ई-मेल के जरिए एवं बैंक के सुरक्षित नेटवर्क के दूर से उपयोग की सुविधा से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों एवं संबद्ध अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया। ग. वीडियो कान्फरेंसिंग, मोबाइल पर बातचीत एवं चर्चा, ई-मेल एवं ऐसे संवाद माध्यमों के जरिए पूछताछ करना एवं आवश्यक लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना। घ. हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समाधान नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से किया गया।

अन्य मामले

5. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 9169 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त बैंक के कुल अग्रिमों रु. 3087788.72 करोड़ और कुल ब्याज आय रु. 120151.17 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

   उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारा अभिमत विचार सापेक्ष नहीं है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

6. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (पर इसमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों और उन पर हमारे लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट शामिल नहीं है) सम्मिलित है, जो हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त कर चुके हैं, यह हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होने की आशा है।

   केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटीकरणों के अंतर्गत स्तंभ 3 को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

   केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना केवल बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो, तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम अनुलग्नकों सहित निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस से जुड़ों और प्रबंध मंडल के दायित्व

7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

   केवल बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंध मंडल का दायित्व है कि वह बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक बैंक का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

   बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारी भी है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

8. केवल बैंक के वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है, मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखापरीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और अलग या समग्र रूप से इन केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की स्थिति में इन्हें ठोस माना जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में हैः

- केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- परिस्थितियों के उपयुक्त लेखा कार्यविधियों को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझें, न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्राभकारिता पर अभिमत देने के प्रयोजन से।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेंखांकन के उपयोग तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण की उपयुक्तता निश्चित करें, जिसके आधार पर ऐसी घटना या परिस्थिति के कारण कोई भारी अनिश्चितता विद्यमान हो और जिससे कार्यशील बैंक के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष के रूप में मानते हैं कि भारी अनिश्चितता पाई गई है, तो केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना या ऐसे प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं होने पर हमारे अभिमत को संशोधित करना हमारे लिए अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्थान के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

  केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (i) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ों को इस आशय का विवरण प्रस्तुत करते हैं कि स्वतंत्रता के विषय में एवं ऐसे संबंधों एवं अन्य मामलों की सूचना देने के लिए हमारे द्वारा नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, जिनका हमारी स्वतंत्रता एवं जहां लागू हो तत्संबंधी बचाव पर प्रभाव पड़ सकता है।

गवर्नेंस से जुड़ों को सूचित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो चालू अवधि के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करते है, बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए, क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 6 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अपेकषा के अनुसार हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं किः

क. हमने सभी प्रकार की ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन आवश्यक था और हमने इस जानकारी और स्पष्टीकरण को संतोषजनक पाया है;

ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं;

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमारे अभिमत में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ बैंक द्वारा रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा उन खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरणियां हमें उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं, जहां हम नहीं गए।

ख) इस रिपोर्ट में सम्मिलित तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं, जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया।

ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से शामिल किया गया है; तथा

घ) हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के इस सीमा तक अनुरूप हैं कि ये आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग दायित्व के लिए आरबीआई द्वारा जारी पत्र सं.डीओएस/एआरजी/सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षानुसार और बाद में दिनांक 19 मई 2020 की सूचना के अनुसार हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में नीचे रिपोर्ट करते हैं।

क. हमारे अभिमत में उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुरूप है कि ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप नहीं हैं।

ख. वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई पर्यवेक्षण या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

ग. 31 मार्च 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों जिन्हें बोर्ड के निदेशकों ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर 31 मार्च 2020 से किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अपात्र नहीं पाया गया।

घ. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई अर्हता आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं ।

ङ. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 19 मई 2020 को दी गई अनुमति के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से "वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" की रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा को लागू करने के बैंकों के विकल्प के अलावा, देने के लिए हमारी कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111 एन
यूडीआईएन: 20085669AAAABA7352
स्थान: नई दिल्ली

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार

अरविन्द नारायण योनेमडी
भागीदार: स.क्र. 031004
फर्म पंजी सं.301072 ई
यूडीआईएन: 20031004AAAABW9223
स्थान: मुंबई

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स.क्र. 018159
फर्म पं.क्र.004610 एस
यूडीआईएन: 20018159AAAAAF4367
स्थान: एर्नाकुलम

कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सुनीता केडिया
भागीदार: स.क्र. 60162
फर्म पं.क्र. 302082 ई
यूडीआईएन: 20060162AAAABC8718
स्थान: कोलकाता

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. शिव रामकृष्ण प्रसाद
भागीदार: स.क्र. 024860
फर्म प. क्र. 004453 एस
यूडीआईएन: 20024860AAAAAJ5174
स्थान: हैदराबाद

कृते चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

विठेश डी. गांधी
भागीदार: स.क्र. 110248
फर्म पं.क्र.101720 डबल्यू / डबल्यू 100355
यूडीआईएन: 20110248AAAAAP1448
स्थान: मुंबई

कृते ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.आर. तोतला
भागीदार: स.क्र. 071774
फर्म पं.क्र. 000734 सी
यूडीआईएन: 20071774AAAAAQ6602
स्थान: इन्दौर

कृते एस.के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. बी. सिंह
भागीदार: स.क्र. 073124
फर्म पं.क्र. 000745 सी
यूडीआईएन: 20073124AAAABV9783
स्थान : कानपुर

कृते एससीवी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

संजय वासुदेवा
भागीदार: स.क्र. 090989
फर्म पं.क्र. 000235 एन / एन500089
यूडीआईएन: 20090989AAAAAC6930
स्थान: नई दिल्ली

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

पंकज जैन
भागीदार: स.क्र. 48850
फर्म प. क्र. 105049 डबल्यू
यूडीआईएन: 20048850AAAAAB9318
स्थान: मुंबई

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस मूर्ति
भागीदार: स.क्र. 072290
फर्म पं.क्र. 001135 एन
यूडीआईएन: 20072290AAAABD1545
स्थान: नई दिल्ली

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स.क्र. 024844
फर्म पं.क्र. 230448 एस
यूडीआईएन: 20024844AAAABB9243
स्थान: चेन्नई

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार: स.क्र. 137686
फर्म पं.क्र.104863 डबल्यू
यूडीआईएन: 20137686AAAACM1164
स्थान: मुंबई

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोकसी
भागीदार: स.क्र. 37606
फर्म पं.क्र.109574 डबल्यू
यूडीआईएन: 20037606AAAAAW5094
स्थान: मुंबई

दिनांक: 5 जून 2020